वार्षिक रिपार्ट
2017-18

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

दूसरो के जीवन को रोशन करें
ऊर्जा बचाऐं

Vijaywada, (Andhra Pradesh)

Painting

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

www.beeindia.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

विषय सूची

सूची			पृष्ठ संख्या
सामान्य			
1.1	मिशन		6
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका		6-7
1.3	महानिदेशक का प्रतिवेदन		8-9
1.4	ऊर्जा उपयोग के रूझान		10
1.5	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें		11-34
	1.5.1	राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)	11-15
	1.5.2	ऊर्जा संरक्षण भवन	15-17
	1.5.3	परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता	17-18
	1.5.4	मानक और लेबलिंग स्कीम	18
	1.5.5	नगरपालिकां मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) योजना	19
	1.5.6	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना	19-20
	1.5.7	लधु और मध्यम उद्यम (एसएमईज)	20-23
	1.5.8	डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	23-24
	1.5.9	राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीएज) का सुदृढ़ीकरण	24-26
	1.5.10	ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा	26-27
	1.5.11	जागरुकता और पहुंच	27-28
	1.5.12	विद्यार्थी क्षमता निर्माण कार्यक्रम / विद्यार्थी जागरुकता	28
	1.5.13	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता	28-34
	1.5.14	विविध	34
1.6	शासी परिषद की संरचना		34-36
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग			
	2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	38-47
	2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम–जारी कार्यक्रम	47-49
ब्यूरो के लेखे			
	3.1	पूंजीगत संरचना	00
	3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	00
	3.3	ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय	00
	3.4	लेखों का वार्षिक विवरण	00
प्रशासन			
	4.1	शिकायत निवारण	80
	4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	80
	4.3	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	80
	4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	80
	4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	81
	4.6	सतर्कता	81
	4.7	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	82
	4.8	विविध	82

1

सामान्य

1.1 मिशन

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

1.3 महानिदेशक का प्रतिवेदन

1.4 ऊर्जा उपयोग के रूझान

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.7 शासी परिषद की संरचना

1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्वतः विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अन्तर्गत नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को त्वरित और निरंतर रूप से अपनाया जाएगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों को नीतिगत रूपरेखा और दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र का सहयोग को बढावा देना।
- पणधारियों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा विचारित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनकी देखरेख करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, निजी – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, ऊर्जा दक्षता सुपुर्दगी क्रियाविधि का प्रदर्शन करना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तथा ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए ऊर्जा सरंक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्य कर रही अभिहित एजेंसियों, अभिहित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

इस अधिनियम में उपकरणों और यंत्रों के लिए मानक विकसित करने और लेबलिंग करने; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड बनाने तथा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदण्ड बनाने के लिए विनियामक जनादेश का प्रावधान है। वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और अधिनियम के मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

- केन्द्रीय सरकार ऐसे अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, जिनकी ऊर्जा खपत यथानिर्धारित पद्धति के अनुसार बनाए गए मानदण्डों और मानकों से कम हो।
- अभिहित उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदण्डों और मानकों से अधिक है, निर्धारित मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र की खरीद करने के पात्र हैं।

- केन्द्रीय सरकार ब्यूरो से परामर्श करके खपत की गई ऊर्जा के बराबर तेल के प्रति मीट्रिक टन का मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- वाणिज्यिक भवन, जिनके पास 100 किलोवाट का कनेक्टिड लोड या 120 केवीए या इससे अधिक की कॉन्ट्रेक्ट डिमाण्ड है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत ईसीबीसी के दायरे में आते हैं।

संवर्धनात्मक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिका मे निम्नलिखित शामिल है:

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरुकता पैदा करना तथा जानकारी का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना।
- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा निदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनके क्रियान्वयन का सरलीकरण।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए तरजीही उपचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के नवोन्मेशी निधीयन को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

1.3 महानिदेशक का प्रतिवेदन

ऊर्जा के सक्षम उपयोग को प्राप्त करने के लिए आक्रामक रूप से कई उपाय किए गए क्योंकि आने वाले वर्षों में ऊर्जा खपत अपेक्षाओं के बढ़ जाने से हमारी सकल मांग स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए हमारी प्रतिबद्धता निरन्तर प्रतिबिम्बित हो सके। भारत ने अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% प्रतिशत तक की कमी करने के लिए स्वयं की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। माननीय प्रधान मंत्री ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर सचिवों के एक समूह का गठन किया है।

विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता स्कीमों में उपकरणों और यंत्रों के लिए मानक और लेबलिंग, राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के अन्तर्गत निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट), कृषि, नगरपालिका और भवनों आदि में मांग पक्ष प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं। विभिन्न मांग पक्ष प्रबन्धन उपायों से ऊर्जा सृजन की वार्षिक वृद्धि में लगभग 9% से 6% की कमी लाई गई है।

उपकरणों और उपस्करों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रमं 'के अन्तर्गत आदेशात्मक क्षेत्र के दायरे में दो नए उपकरण अर्थात् इन्वर्टर एसी और एलईडी लैम्प लाए गए। रंगीन टीवी और रूम एयर कंडीशनर के लिए मौजूदा मानकों का उन्नयन किया गया और सेन्ट्रलाइज्ड एचवीएसी (चिल्लर) के लिए मसौदा मानक बनाए गए। कार्यक्रम के दायरे में और अधिक उपकरणों को शामिल करने के निरन्तर प्रयास करते हुए 24 नए उपकरणों का निर्धारण अध्ययन किया गया।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का नया वर्ज़न लाना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है और आज की तारीख तक 11 राज्यों और 1 केन्द्रशासित प्रदेश को अधिसूचित किया गया है। आवासीय क्षेत्र में दक्षता सुधार की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर इको निवास पोर्टल आरम्भ किया गया, जो ऊर्जा दक्ष गृहों के निर्माण के लिए एक इन्टरएक्टिव टूल है। ईसीबीसी के सुचारु कार्यान्वयन के लिए सभी नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया और ईसीबीसी पर वास्तुकारों की क्षमताओं के निर्माण और पाठ्यक्रम में ईसीबीसी की विशेषताओं को शामिल करने के लिए वास्तुकारों की काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट) के औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दो नए क्षेत्रां अर्थात पैट्रोकैमिकल्स और होटल को वाणिज्यिक भवन के अधीन शामिल किया गया। इससे पैट का मौजूदा दायरा कुल औद्योगिक खपत का लगभग 65 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष पैट-IV चक्र आरम्भ किया गया और इस कार्यक्रम में 13 क्षेत्रों और 846 ऊर्जा गहन क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र पोर्टल की शुरुआत करना एक मुख्य उपलब्धि रही है, जिससे विद्युत विनिमय के माध्यम से ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग की गई है। ट्रेड किए गए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों

की कुल मात्रा लगभग 13 लाख रुपए रही, जिसके परिणामस्वरूप 100 करोड़ रुपए के मूल्य की भारतीय मुद्रा का कारोबार हुआ।

इस वर्ष लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमईज) में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और बीईई के एसएमई कार्यक्रम के अर्न्तगत 9 ऊर्जा प्रबन्धन कक्षों को स्थापित किया गया। बीईई ने वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा सेवा कम्पनियों, वितरण कम्पनियों, राज्य अभिहित एजेंसियो और अन्यों जैसे मुख्य स्टेकहोल्डरों की क्षमता विकास के लिए अपने प्रयास निरन्तर जारी रखे हैं। इस वर्ष भारत के महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में 1.24 करोड़ बच्चों ने भाग लिया।

बीईई ने जनसाधारण के बीच ऊर्जा संरक्षण का संदेश को फैलाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक, आऊटडोर और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से एक गहन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। बीईई ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाते हुए अपने प्रयासों के लिए वैश्विक मान्यता का भी लक्ष्य रखा है।

1.4 ऊर्जा उपयोग के रुझान

भारत में ऊर्जा खपत की मुख्य विशेषता यह है कि यहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत निम्न है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता बहुत अधिक है। वर्ष 2015–16 में हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा और बिजली की खपत क्रमशः 670 किलोग्राम तेल ऊर्जा के बराबर और 1075 किलोवाट घण्टा/प्रति वर्ष है, जो औसतन विश्व का लगभग एक तिहाई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वर्ष 2016 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय ऊर्जा खपत की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

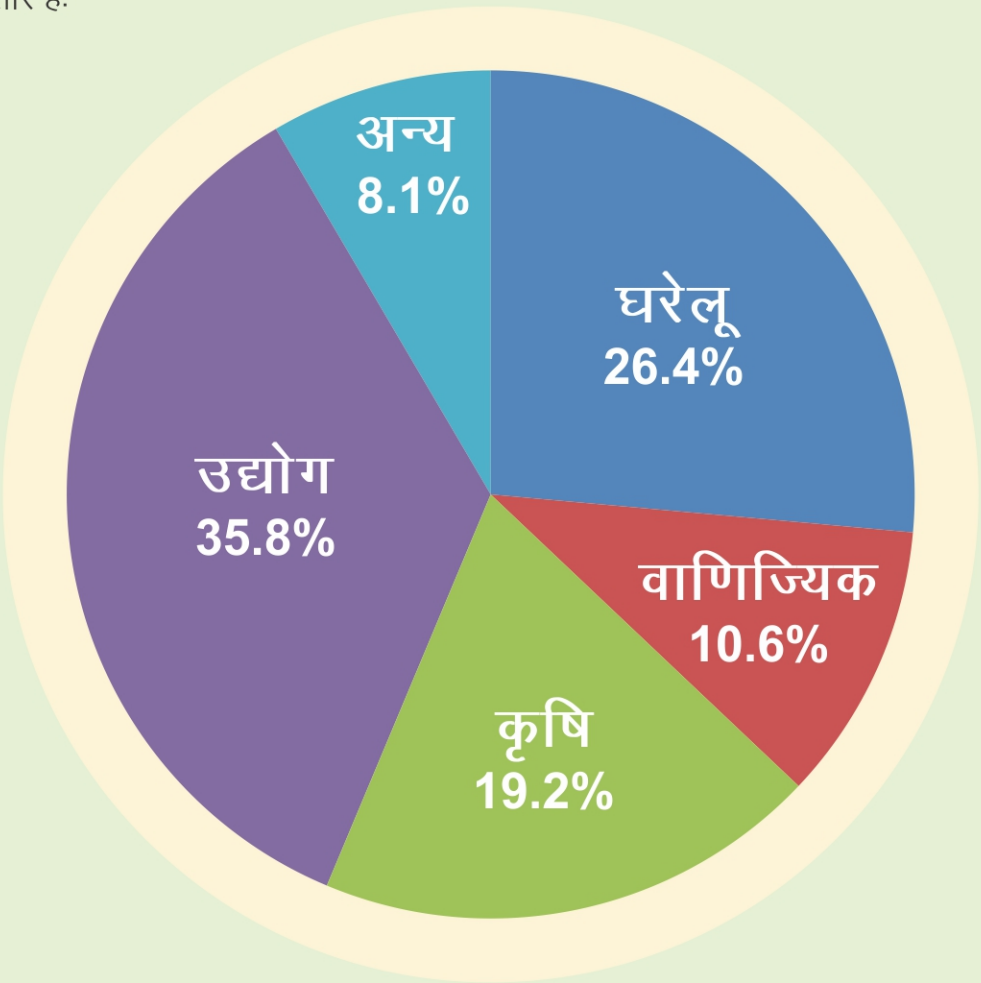

ऊर्जा की गहनता (2004–05 मूल्यों पर) 2006–07 में 0.465 मेगा जूल प्रति रुपए से घटकर 2014–15 में 0.284 मेगा जूल प्रति रुपए हो गई जो 2015–16 में और भी घटकर 0.271 मेगा जूल हो गई (स्रोतः केन्द्रीय विद्युत योजना)। पिछले दशक से ऊर्जा की गहनता में कमी आई है। यह कमी संभवतः ऊर्जा मांग के मुकाबले जीडीपी में तेजी से वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के उपयोग आदि के कारण आई है।

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

संस्थागत क्रियाविधि
- राज्य अभिहित एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान

जागरुकता
- ऊर्जा संरक्षण अवार्ड्स
- चित्रकला प्रतियोगिता

ऊर्जा दक्षता भवन निर्माण
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
- पुराने भवनों को पुनः उपयुक्त बनाना
- आवासीय भवन निर्माण दिशानिर्देश

उपकरणों की स्टार रेटिंग
- 10 अनिवार्य लेबलयुक्त उपकरण
- 11 स्वैच्छिक लेबलयुक्त उपकरण

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन
- निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट)
- ऊर्जा दक्षता बाजार रूपांतरण (एमटीईई)
- ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)
- ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)

मांग पक्ष प्रबंधन
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन
- नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन
- एसएमई में ऊर्जा दक्षता
- डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण

1.5.1 राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)

जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आठ राष्ट्रीय मिशनों को निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा जून 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरु की गई थी। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) एनएपीसीसी के अधीन आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। एनएमईईई मिशन का मूल उद्देश्य नवोन्मेशी प्रयासों के कार्यान्वयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बाजार को मजबूत बनाना है। ऊर्जा दक्षता संवर्धन के लिए एनएमईईई ने स्व–विनियम और बाजार सिद्धान्तों को शामिल करते हुए निम्नलिखित चार नई शुरुआतें की हैं:

1. **निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट) स्कीम** – जिसका उद्देश्य बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करना है।
2. **ऊर्जा दक्षता बाजार रूपान्तरण (एमटीईई)** – जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रति बाजार का रूपान्तरण करना है।
3. **ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)** – जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और अन्य पणधारियों के लिए दक्षता निर्माण हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है।
4. **ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)** – ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय साधनों को वित्तपोषण के लिए विकास करना है।

एनएमईईई के चार प्रयासों की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट)

बड़े उद्योगों में अपने प्रथम चक्र (2012–15) के कार्यान्वयन से वर्ष 2014–15 में 8.67 मिलियन टन तेल ऊर्जा की बचत हुई, जो देश की कुल प्रमुख ऊर्जा खपत का लगभग 1.25% है। इस ऊर्जा बचत से लगभग 31 मिलियन टन की कार्बन डाइआक्साइड (CO2) उत्सर्जन में कमी आई। इस ऊर्जा बचत को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र नामक व्यापार योग्य प्रलेख में रूपान्तरित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा की अधिक बचत करने के लिए 306 अभिहित उपभोक्ताओं को लगभग 38.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी किए हैं और 110 अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगभग 14-25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र की खरीद करने का हकदार बनाया गया। विद्युत विनिमय पर ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग 26 सितम्बर, 2017 से आरम्भ की गई। ट्रेड किए गए कुल ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की कुल मात्रा लगभग 12.98 लाख है जिससे 17 सप्ताह के सत्र में लगभग 99.82 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया।

पैट के दूसरे चक्र में (2016–19) को मार्च 2016 में अधिसूचित किया गया, जिसमें ग्यारह क्षेत्रों, जिसमें आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र अर्थात् रेलवे, रिफाइनरीज और डिस्कॉम्स शामिल हैं, के 621 अभिहित उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया। पैट ने अपने दूसरे चक्र में 8.869 मिलियन टन तेल ऊर्जा की समग्र ऊर्जा बचत करने का लक्ष्य रखा।

ऊर्जा पर संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति तथा पैट के अन्तर्गत अभिहित उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए सचिवों के समूह द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष नए अभिहित उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके बाद पैट चक्र–III (2017–20) को 1 अप्रैल, 2017 से आरम्भ किया गया। पैट स्कीम ने अपने तीसरे चक्र में 1.06 एमटीओई की समग्र ऊर्जा बचत करने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए छः ऊर्जा गहन क्षेत्रों से 116 अभिहित उपभोक्ताओं को एसईसी कटौती करने के लक्ष्य दिए गए।

पैट चक्र–IV में (2018–21) को 1 अप्रैल 2018 से आरम्भ किया गया, जिसमें मौजूदा क्षेत्रों और दो नए क्षेत्र अर्थात् पैट्रोकैमिकल्स और वाणिज्यिक भवनों (होटलों) से 109 अभिहित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया।

पैट भवन–होटल

औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें सामान्यतः ऊर्जा गहन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, को छोड़ कर कई ऐसे ऊर्जा गहन क्षेत्र हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सेवाओं क्षेत्र के अन्तर्गत होटल क्षेत्र इनमें से एक हैं, क्योंकि इनमें विलासात्मक, आकर्षक, सुखदायक और लाभदायक सेवाओं के आधार पर ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की खपत होती है। बीईई ने हाल ही में पैट भवन–होटल क्षेत्र के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया है। 1000 टन तेल के बराबर ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले किसी भी होटल को अभिहित उपभोक्ता माना जाता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत 37 अभिहित

उपभोक्ताओं का अभिनिर्धारण किया गया है और उनके लक्ष्य मार्च, 2018 में अधिसूचित किये गए हैं। ये लक्ष्य 2021 तक प्राप्त किए जाने आवश्यक हैं और उनकी उपलब्धि के आधार पर या तो उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिए जाएंगे या उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र खरीदने आवश्यक होंगे या उन्हें पैट योजना के अनुसार उद्योगों के अनुरूप हर्जाने की अदायगी करनी होगी।

(ii) ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपान्तरण (एमटीईई)

मिशन के इस प्रयास का उद्देश्य उत्पादों को वहनीय बनाने के लिए नवोन्मेशी उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपकरणों को तेजी से बदलना है। एमटीईई के अन्तर्गत बाजार में ऊर्जा दक्षता उत्पादों के संवर्धन हेतु दो कार्यक्रम बचत लैम्प योजना (बीएनवाई) और अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) आरम्भ किए गए।

- बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) का विकास अदक्ष बल्बों के बदले कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) लाने के लिए किया गया था। इस समय उजाला के तहत बीएलवाई कार्यक्रम में एलईडी के प्रसार को सहायता देना तथा ईईएसएल और आरईसी जैसे प्रतिभागी अभिकरणों को तकनीकी सहायता मुहैया कराना शामिल है।
- अति दक्ष उपकरण योजना (एसईईपी) कार्यक्रम, हस्तक्षेप के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर नए–नए वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया करवा कर अति-दक्ष उपकरणों के लिए बाजार का रूपांतरण करने हेतु तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत का पंखा पहले उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया अभिहित उपकरण है।

(ii) ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एनएमईईई के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी) की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निधीयन को बढ़ाने हेतु बीईई द्वारा मैसर्स पीटीसी इंडिया लि., मैसर्स सिडबी, एचएसबीसी बैंक, टाटा कैपिटल तथा आईएफसीआई लिमिटेड के साथ पहले से ही एचएसबीसी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्तीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए बीईई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन पर प्रशिक्षण के लिए भारतीय बैंक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले चरण में बीईई ने ऊर्जा दक्षता निधीयन के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षक कार्यशालाओ के 4 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस समय, बीईई ने इन प्रशिक्षण कार्यशालाओ का दूसरा चरण आरम्भ कर दिया है। अभी तक मुम्बई, थाणे, पुणे, बंगलुरु, मंगलौर, नई दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में नौ कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है और विभिन्न बैंकों के 380 से भी अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एनबीएफसीज और संस्थानों को भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशिक्षित किया गया है।

प्रकाशनः

1. भारत में ऊर्जा दक्षता निधीयन की प्रशिक्षण नियमावली
2. भारत में निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का सफलता वृतांत

3. ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि और ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि का बाजार निर्धारण
4. भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश

(iv) ऊर्जा–दक्षता आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईईडी)

ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईईडी), ऊर्जा दक्षता निधीयन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वित्तीय प्रलेख के विकास पर बल देता है। इस सम्बन्ध में दो कार्यक्रम अर्थात् ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) आरम्भ किए गए।

क) ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई)

एनएमईईई के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निधीयन में ऋण सम्बन्धी मुद्दों के समाधान के लिए पीआरजीएफईई की स्थापना की है। पीआरजीएफईई ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए भागीदार वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) द्वारा ऋण प्रदान करने में समाहित आंशिक कवरेज सहित एक जोखिम भागीदारी वाली क्रिया–विधि है। यह गारंटी 10 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अथवा ऋण राशि का 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। पीआरजीएफईई ने सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवन), नगरपालिकाओ, लघु व मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की है। यह गारंटी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ईएससीओ को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को दी गई है।

पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन/क्रियाकलापों की स्थितिः

i. पीआरजीएफईई के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
ii. बीईई ने, जुलाई, 2015 में पीआरजीएफईई के प्रचालन के लिए आरईसीपीडीसीएल– आरईसी–ईईएसएल संकाय को कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
iii. पीआरजीएफईई के लिए प्रचालन मैनुअल का अनुमोदन पहले ही हो चुका है।
iv. पीआरजीएफईई नियम, मई 2016 में अधिसूचित किए जा चुके हैं।
v. पीआरजीएफईई के अन्तर्गत चार वित्तीय संस्थाओं– आन्ध्रा बैंक, यस बैंक, टाटा क्लीनटैक कैपिटल लि० और आईडीएफसी को पैनल में रखा गया है

ख) ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई)

बीईई द्वारा भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में इक्विटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई) बनाई गई है। ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि एक ऐसी निधि है, जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करती हैं। यह निधि विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अन्तिम सीमा तक इक्विटी सहायता प्रदान करती है, जो विशेष प्रयोजन माध्यम से अपेक्षित कुल इक्विटी के 15% अथवा 2 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, तक सीमित है। यह सहायता केवल सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवनों) और नगरपालिकाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।

वीसीएफईई के कार्यान्वयन की स्थितिः

i. वीसीएफईई का गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अधीन किया गया है। न्यास विलेख उप–रजिस्ट्रार, दिल्ली सरकार के न्यायाधिकार में पंजीकृत था।

ii. वीसीएफईई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया।

iii. 31 मार्च, 2017 को वीसीएफईई नियमावली अधिसूचित की गई।

1.5.2 ऊर्जा दक्षता भवन

1.5.2.1 वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता

सेवा क्षेत्र के सुदृढ़ विकास से भारत के वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक तेजी से विस्तार हो रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि भवन स्टॉक जो 2030 में मौजूद होगा, का कम से कम 60% हमारे देश – जो मौलिक रूप से विकसित देशों से भिन्न है, में अभी आना बाकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में विकास की दर उच्चतम है और कि इस क्षेत्र को अपनी ऊर्जा खपत को घटाने की आवश्यकता है, इसलिए बीईई ने 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) लागू किया है ताकि पर्यावरण पर भवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। ईसीबीसी विभिन्न भवन संघटकों के लिए ऊर्जा निष्पादन के मानदण्ड निधारित करता है और जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखता है। इन मानदण्डों के उपयोग से निवासियों के कार्यों, आराम, स्वास्थ्य या उत्पादकता को प्रभावी किए बिना भवन ऊर्जा अपेक्षाओं में कमी आती है।

बीईई ने जून 2017 में ईसीबीसी 2017 कोड का नया वर्ज़न लागू किया है। नया विकसित वर्ज़न भविष्यगामी, व्यावहारिक और कार्यान्वयन करने के लिए आसान है। नए वर्ज़न में अनुपालन के तीन स्तरः ईसीबीसी, ईसीबीसी़ और सुपर ईसीबीसी है। इन परिवर्धनों को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों को न केवल मूल ईसीबीसी मानदण्डों को पूरा करने अपितु उनको पार कर जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यद्यपि इस कोड का केन्द्रीय स्तर पर विकास किया गया है, किन्तु इसका प्रवर्तन राज्य सरकार के पास निहित है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार राज्य सरकार को अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोड को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ईसीबीसी की दीर्घकालिक सफलता व्यापक रूप से विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा भवन कोड का विकास करने, अपनाने और कार्यान्वयन करने की सामूहिक भूमिका पर निर्भर करेगी। तकनीकी और डिजाइन पहलुओं, बाजार अवरोधों, नीति और प्रवर्तन मुद्दों के अनुसार ईसीबीसी के कार्यान्वयन की बाधाएं और चुनौतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं।

देश भर में इसके एक समान कार्यान्वयन के लिए मानकीकृत प्रवर्तन मॉडल का विकास करने पर बल दिया गया है। 2017–18 के दौरान किए गए क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- **ईसीबीसी के प्रवर्तन के लिए नियामक ढांचा:**
  - o कोड के प्रवर्तन में सहयोग के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड नियमावली 2018 को फरवरी 2018 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
  - o राज्य अभिहित उपभोक्ताओं को निकटतम सहयोग देने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ईसीबीसी कक्ष स्थापित किए गए।
- **भवन परियोजनाओं में ईसीबीसी अनुपालन के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन:**
  - o देश भर में ईसीबीसी अनुपालन को दर्शाने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रो (3 मिलियन वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल समाहित करते हुए) भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न ईसीबीसी प्रदर्शन

परियोजनाओं (लगभग 90) के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

- **ईसीबीसी पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः**
  - o देश भर में ईसीबीसी पर सत्तर (70) से भी अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
  - o (122) ईसीबीसी मास्टर प्रशिक्षुओं के मौजूदा समूह के लिए ईसीबीसी 2017 पर दो (2) रिफ्रेशर्स कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

1.5.2.2 आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता

भवन क्षेत्र में खपत की गई कुल बिजली में से लगभग 75 प्रतिशत आवासीय भवनों में उपयोग की गई। ''सभी के लिए घर'' जिस पर सरकार बल दे रही है, से आवासीय भवनों का निर्मित क्षेत्रफल तेजी से बढ़ जाने की आशा है। आशा है कि 2022 तक ''सभी के लिए घर'' के अधीन लगभग 2–3 करोड़ नई आवासीय इकाइयों का निर्माण हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त आवासीय भवन स्टॉक में तेजी से वृद्धि, जिसके साथ एरिया कंडिशनिंग के लिए बिजली के उपयोग भी शामिल है, के फलस्वरूप आवासीय भवनों में बिजली के उपयोग में भी तेजी से वृद्धि होगी, इसलिए बीईई आवासीय भवनों के लिए एक कोड विकसित कर रहा है। शहरी मध्यम आय अपार्टमेंटों के नमूना सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों से यह पता चलता है कि थर्मल कमफर्ट प्रदान करने के लिए बिजली का हिस्सा वार्षिक बिजली की खपत का 30–60% बनता है। थर्मल कमफर्ट का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है, जो सभी प्रकार के मकानों और सस्ते मकानों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

बीईई ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण कोड के विकास के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण को भावी विकास के लिए स्पष्ट रोड मैप सहित कतिपय प्रकार के आवासीय भवनों के लिए भवन ढांचे पर बल देते हुए सरल और कार्यान्वयन के योग्य कोड (जिसे मौजूदा भवन कोडों / उप–विधियों के साथ समेकित किया जा सकता है) को अपरिहार्य बनाया गया है। भवन ढांचे पर प्रारम्भिक बल युक्तियुक्त है क्योंकि बीईई द्वारा सफल उपकरण लेबलिंग कार्यक्रम के माध्यम से पहले ही ऊर्जा दक्षता का समाधान किया जा रहा है।

भवन ढांचे के डिजाइन का निम्नलिखित पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हैः

क. छत, अपारदर्शी दीवार और ग्लेज्ड खिड़कियों के मार्फत हीट कंडीशन

ख. ग्लेज्ड खिड़कियों के मार्फत सोलर रेडिएशन का लाभ

ग. प्राकृतिक रूप से हवादार होना

घ. दिन का प्रकाश

आने वाले वर्षों में अन्य तथ्यों जैसे कि भवन परिचालन के लिए इलैक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा सृजन, दीवार की सामग्री और ढांचागत प्रणाली के लिए प्रस्तुत ऊर्जा आदि के समाधान के लिए आवासीय भवनों (ईसीबीसी–आर) के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में नए उपकरण जोड़े जाएंगे। भवन एनवेलप का समाधान करने वाले कोड का मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

1.5.2.3 भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इको–निवास वेबसाइट शुरु करना

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इन्टरएक्टिव उपकरण सहित एक ऑनलाइन पोर्टल इको–निवास (ऊर्जा संरक्षण – सस्ते और टिकाऊ घरों के लिए नए भारतीय उपाय) को विकसित किया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 14 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर इको–निवास और टूल की शुरुआत की गई।

इसके अतिरिक्त बीईई ने भारत की मिश्रित और गर्म शुष्क जलवायु के लिए दिशानिर्देशों का भी प्रकाशन किया है। गर्म–नम जलवायुक्षेत्र के लिए नए बहु–मंजिले आवासीय भवनों के ऊर्जा दक्ष डिजाइन के मार्गनिर्देशों के विकास में भारतीय जनसंख्या का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा आ जाता है।

मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता:

ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए बाजार पूल को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम तैयार किया है, जो भवनों के किलोवाट घण्टा/वर्गमीटर/प्रतिवर्ष में अभिव्यक्त क्षेत्रफल पर भवन में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1–5 स्टार पैमाने पर भवनों की रेटिंग करता है, भवन के सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष होने पर 5 स्टार लेबल दिया जाता है। दिन में कार्य करने वाले कार्यालय भवनों, बीपीओ, अस्पतालों और शॉपिंग मॉलों के लिए स्टार लेबल तैयार किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल 204 वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग की गई है।

1.5.3 परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता

पेट्रोलियम उत्पादों की सबसे अधिक खपत करने वाले परिवहन क्षेत्र का अनुवर्तन पेट्रोल को बचाने के लिए किया जाना आवश्यक है। वाहनों की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है। 2016–17 की मांग की तुलना में 2020–21 की वार्षिक मांग में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने की आशा है। इससे न केवल प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि भारत के पेट्रोलियम आयात बिल में भी वृद्धि हो जाएगी। अतः वाहनों की दक्षता को बढ़ाते हुए पेट्रोलियम की खपत में कमी करना अनिवार्य है। ब्यूरो ने भारत में वाहनों के लिए दक्षता मानदण्डों को पारिभाषित करने की आवश्यकता अनुभव की है।

ब्यूरो ने पहले ही यात्री कारों के लिए निगमित औसत ईंधन ऊर्जा दक्षता मानदण्डों को परिभाषित कर

दिया है। हैवी ड्यूटी वाहनों (एचडीवीज) के लिए अगस्त, 2017 में ऊर्जा दक्षता मानदण्डों को भी अधिसूचित किया गया था। ये मानदण्ड 12 टन से अधिक जीवीडब्ल्यु के वाहनों (ट्रकों और बसों) पर लागू होते हैं।

1.5.4 मानक और लेबलिंग स्कीम

मानक और लेबलिंग स्कीम (एसएण्डएल) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई अद्वितीय स्कीमों में से एक है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के विकल्प से अवगत कराना है, जिससे ऊर्जा खपत वाले विभिन्न उपकरणों की संभावित लागत मे बचत होती है। मानक और लेबलिंग स्कीम में 21 उपकरण स्टार लेबलिंग में शामिल हैं, जिसमें 10 उत्पादों को अनिवार्य बनाया है और शेष 11 उपकरण स्वैच्छिक स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

मानक और लेबलिंग स्कीम के मुख्य लाभः

(i) सुव्यवस्थित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों को उपकरण खरीदते समय सही निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

(ii) अदक्ष ऊर्जा उपकरणों के बदले ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार रूपांतरण का सृजन।

बीईई ने निरन्तर प्रयास करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैंः

(i) 17559.89 मेगावाट की क्षमता का सृजन नहीं करना पड़ा।

(ii) निम्नलिखित दो उपकरणों का स्वैच्छिक क्षेत्र से आदेशात्मक क्षेत्र में परिवर्तनः

(क) इन्वर्टर एसी

(ख) एलईडी लैम्प

(iii) बाजार में और अधिक ऊर्जा दक्ष उपकरण लाने के लिए रंगीन टेलिविजनों, कमरे में लगने वाले एयर कंडिशनरा के लिए ऊर्जा खपत मानकां में संशोधन किया गया।

जागरुकता क्षेत्र

बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिन्ट और टेलिविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच एस एण्ड एल कार्यक्रम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप किए हैं। जागरुकता क्रियाकलापों मे निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे एलईडी लैम्पों की स्टार लेबलिंग के बारे में विज्ञापन जारी करना।

(ii) तीस नगरों में बीस भाषाओं में ऑल इंडिया रेडियो के एफएम गोल्ड पर ''बचत के सितारे–दोस्त हमारे'' रेडियो प्रोग्राम को प्रसारित करना।

(iii) ऊर्जा दक्ष उपकरणों को अपनाने की जानकारी देने और उन्हें समझाने के लिए रिटेलरों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए रिटेलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 मेट्रो शहरों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, मुम्बई, चेन्नई और हैदराबाद में 18 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में 2000 रिटलरों ने भाग लिया।

1.5.5 नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) योजना

भारत 1.25 बिलियन लोगों से भी अधिक लोगों का घर है, जो इस समय विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या द्वारा 2050 तक सकारात्मक विकास दर प्राप्त करना अनुमानित है और 2025–30 तक यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। बेहतर रोजगार अवसरों, बढ़ते हुए आय स्तर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की आकांक्षा सहित बढ़ती हुई जनसंख्या भारत को शहरी परिदृश्य की ओर ले जा रही है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि आजादी के बाद पहली बार जनसंख्या में समग्र वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक हुई है। 31% तक की शहरीकरण की विद्यमान सीमा को देखते हुए शहरीकरण के अवसर अब भी काफी अधिक हैं। आशा है कि यह 2030 तक बढ़ कर 40% हो जाएगी। शहरी जनसंख्या के तेजी से विस्तार से अवसंरचना सुविधाओं, आवास और अन्य सामान और सेवाओं पर काफी दबाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा सहित संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है।

भारत में 200 से अधिक नगरपालिकाएं और 1000 अन्य शहरी स्थानीय निकाय होने से भरत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नगरपालिका पद्धति वाला देश बन गया है। नगरपालिकाएं स्थानीय समुदायों को जल आपूर्ति और सरकारी बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं। भारत का नगरपालिका क्षेत्र खपत की गई कुल बिजली का लगभग 4 प्रतिशत हिस्से की खपत करता है और देश में 23% की ऊर्जा उपयोग अदक्षता के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा संरक्षण के लिए दूसरा सबसे बड़ा अवसर माना जाता है।

भावी क्रियाकलापः

2017–2020 के एसएफसी ज्ञापन में एमयूडीएसएम योजना के अधीन निम्नलिखित कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं:

क. एमयूडीएसएम राष्ट्रव्यापी जागरुकता कार्यक्रम चलाना।

ख. पम्प तकनीकज्ञां के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना और अन्य मुख्य पणधारियों को तकनीकी सहायता।

ग. एम एण्ड वी अध्ययनों का आयोजन और मानकीकृत एम एण्ड वी उत्पादों का विकास करना।

घ. भारत के ग्रामीण और शहरी घरेलू क्षेत्र के लिए स्मार्ट और सस्ते बिजली के मीटर लगाना।

1.5.6 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। कृषि भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र भारत की पानी की कुल खपत का लगभग 80% खपत करता है। पम्प सिंचाई प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और वर्तमान में भारत में 20 मिलियन पम्प सेट सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा इस क्षेत्र में 0.25 से 0.5 मिलियन पम्प सेट के वार्षिक रूप में वृद्धि हो रही है।

कृषि क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का 20–22% बिजली की खपत होती है। भारत में कृषि के लिए बिजली का प्रबन्धन लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है। स्थानीय रूप से निर्मित अत्यधिक अदक्ष और अविश्वसनीय पम्प सेटों के इस्तेमाल के कारण पानी की बहुत बर्बादी और बिजली की खपत ज्यादा होती है।

मौजूदा पम्पिंग सिस्टम को उन्नत बनाना अत्यन्त आवश्यक है और यह एक अभूतपूर्व अवसर है। इस क्षेत्र मं अत्यधिक अदक्ष और अविश्वसनीय पम्प सेटों का इस्तेमाल होता है। अदक्ष पम्प सेटों और बीईई के 5 स्टार रेटेड पम्प सेटां के बीच ऊर्जा दक्षता अन्तराल लगभग 26% है। इसलिए कृषि पम्पिंग क्षेत्र में इतनी बड़ी ऊर्जा बचत सम्भावना को पाटना अत्यन्त आवश्यक है।

क्रियाकलापों की वर्तमान स्थितिः

क. जनवरी, 2018 में केवीके जालना, बीड़, शोलापुर, अकोला, अमरावती (महाराष्ट्र) में 'ऊर्जा एवं जल संरक्षण' पर किसानों के लिए एक–एक दिन के 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ख. लगभग 9000 कृषि पम्पों को बदलने के लिए यूपीएनईडीए (बीईई की ओर से), यूपीपीसीएल और ईईएसएल के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक लगभग 250 कृषि पम्प सेटों को बदला जा चुका है।

ग. दस अत्यन्त ऊर्जा दक्ष राज्यों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए बीईई और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

भावी क्रियाकलापः

2017–2020 के एसएफसी ज्ञापन में एजीडीएसएम योजना के अधीन निम्नलिखित कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं:

क. एसडीए के माध्यम से नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबल लगे पम्प सेटों के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधित फ्रेमर्वक।

ख. ऊर्जा दक्ष पम्प का प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियान चलाना।

ग. पम्प तकनीकज्ञों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

घ. कृषि पम्प सेटों के लिए जांच प्रयोगशालाएं आरम्भ करने के लिए सहयोग करना।

1.5.7 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमईज)

पृष्ठभूमिः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यन्त उत्साहवर्धक और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो सकल घरेलू उत्पाद और उत्पादन आऊटपुट में महत्त्वपूर्ण रूप से सहयोग देता है। 63 मिलियन एमएसएमईज न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर

110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है बल्कि देश भर मे लाखों लोगों को स्व–रोजगार प्रदान करता है अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करता है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है, राष्ट्रीय आय और सम्पदा का और अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र प्रतिवर्ष 35 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा की खपत करता है जो बड़े उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत का लगभग 30% है। भारत में एसएमईज क्लस्टर के रूप में पूरे देश में फैले हुए हैं। क्लस्टर स्तर पर स्थानीय एमएसएमईज की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी आवश्यकता का निर्धारण और प्रौद्योगिकीय विकास करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसका एमएसएमई क्षेत्र में समाधान किया जाना आवश्यक है।

1.5.7.1 बीईई – लधु और मध्यम उद्यम कार्यक्रम

इस क्षेत्र की जरूरत से प्रेरित हो कर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ''एसएमईज में ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम'' चलाए गए, जिसका उद्देश्य फोकस्ड अध्ययनों, जानकारी के आदान–प्रदान, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करके और नवोन्मेशी वित्तीयन प्रणाली के विकास में सहयोग देते हुए कुछ चुनिंदा उद्योग क्लस्टरों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में वृद्धि करना है।

वर्ष 2017–18 में कार्यक्रम की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. पाली टेक्सटाइल क्लस्टर की पांच एसएमई इकाइयों, वाराणसी ब्रिक क्लस्टर की दो इकाइयों और इन्दौर फूड क्लस्टर की सात इकाइयों में निदर्शी परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
2. ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से प्राप्त की गई बचत की मात्रा का पता लगााने के लिए इन क्लस्टरों में कार्यान्वयन के बाद ऊर्जा लेखा–परीक्षा की गई।
3. एसएमई क्लस्टर में प्रौद्योगिकियों को गहनता से दोहराने के लिए परियोजना के दौरान प्राप्त जानकारी का प्रसार करना।
4. ऊर्जा दक्षता के विचार को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्र विशेष मामलों का अध्ययन, सर्वोत्तम परिचालन प्रक्रियाओं और सामान्य अनुवर्तन योग्य पेरामीटर प्रलेख तैयार करना और एसएमई उद्यमों द्वारा अपनाई जा रही दैनिक कार्य प्रणालियों में और सुधार करने को प्रोत्साहन देना।
5. इन्दौर फूड क्लस्टर और पाली टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स बना कर इकाई के मालिकों को प्रोत्साहित करना और क्लस्टर में इन प्रौद्योगिकियों को दोहराना।
6. परिवर्तनकारी परिणामों के लिए परियोजना को और अधिक मापने के लिए विभिन्न परियोजना क्रियाकलापों की समीक्षा और उन पर विचार विमर्श करने के लिए एसएमईज में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

Nation Summit on Energy Efficiency in MSMEs

बीईई ने यूनीडो और विश्व बैंक के सहयोग से स्वच्छ, ऊर्जा दक्ष प्रोद्योगिकियों और पद्धतियों को प्रोत्साहन देते और अपनाते हुए भारत के एसएमई क्षेत्र के विकास के सामान्य लक्ष्य के प्रति भारत के अन्य ऊर्जा गहन क्लस्टरों में ऊर्जा दक्ष प्रोद्योगिकियों को अपनाया और उन्हें कार्यान्वित किया है।

1.5.7.2 जीईएफ–यूनीडो– बीईई परियोजना

''भारत मे एसएमईज में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना'' इस परियोजना का उद्देश्य बारह क्लस्टरों में ऊर्जा गहन एसएमईज में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रक्रिया के उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए बाजार परिदृश्य का विकास और प्रवर्तन करना है, जिन्हें मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों (अर्थात् ब्रास, सिरेमिक्स, डेयरी, फाउंडरी और हैंड टूल्स) में वर्गीकृत किया गया है।

कार्यक्रम की कुछ मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. 9 ऊर्जा प्रबन्धन कक्षों की स्थापना।
2. सर्वोत्तम परिचालन प्रक्रियाओं और नई ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए ज्ञान प्रसार कार्यशालाओं के माध्यम से 200 से अधिक उद्यमियों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण।
3. विभिन्न ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर 100 से अधिक मामलों का अध्ययन और 40 डीपीआर तैयार करना।
4. क्लस्टरों में 300 से अधिक विशिष्ट ऊर्जा बचतों और नवीकरणीय ऊर्जा बचत विकल्पों का कार्यान्वयन करना।

1.5.7.3 जीईएफ–विश्व बैंक–बीईई परियोजना

''एमएसएमईज में ऊर्जा दक्षता का वित्तीयन'' परियोजना भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता निवेशों की मांग को बढ़ाना और वाणिज्यिक वित्तीयन का निर्धारण करके उनकी क्षमता का निर्माण करना है।

यह परियोजना ऊर्जा लेखा परीक्षकों और बैंक के ऋण अधिकारियों के बीच समझदारी से चालू अन्तराल

को दूर करने और एसएमईज, ऊर्जा लेखा परीक्षकों, वित्तीय परामर्शदाताओं/सनदी लेखापालों, स्थानीय औद्योगिक या एमएसएमई संघों और स्थानीय बैंकरों के बीच तालमेल बिठाने की व्यवहार्य कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने का महत्त्वाकांक्षी है।

1.5.8 डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण

पृष्ठभूमि

मांग पक्ष प्रबन्धन (डीएसएम) ऊर्जा क्षेत्र में एक लागत प्रभावी साधन है। उपभोक्ता नीति के रूप में डीएसएम कार्यक्रम ऐसी अन्तिम उपयोग प्रौद्योगिकियों के स्थापन को प्रोत्साहन देता है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के समग्र बिजली के बिल में कमी और/या अन्तरण होता है। डीएसएम कार्यक्रम थोक बाजार पर अपने उच्चतम विद्युत क्रय को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे उनके परिचालनों की समग्र लागत में कमी आएगी।

अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में डीएसएम को कार्यान्वित करने के लिए डिस्कॉम्स के लिए क्षमता निर्माण और अन्य सहयोग देना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। इससे डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण और उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में डीएसएम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य प्रणालियों का विकास करने में मदद मिलेगी।

क्रियाकलाप और उपलब्धियां

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबन्धन कार्यक्रम चलाना, डीएसएम कार्य योजना का विकास करना और उनसे संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप आरम्भ किए गए हैं:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 34 डिस्काम लाभार्थियों को डिस्कॉम के रूप में प्रतिभागिता करने के लिए चुना गया।
- बीईई और चुनिंदा 34 डिस्कॉम के बीच एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें डिस्कॉम के लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है।
- 34 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम कक्ष स्थापित किए गए हैं।
- 19 राज्यों में 27 डिस्कॉम्स के लिए डीएसएम विनियम अधिसूचित किए गए हैं।
- डीएसएम से संबंधित क्रियाकलापों को सरल बनाने के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को मानव शक्ति सहायता प्रदान की गई है।
- 34 डिस्कॉम्स के लिए भार सर्वेक्षण और डीएसएम कार्य योजना का विकास कार्य आरम्भ किया गया है। 34 डिस्कॉम्स के लिए भार सर्वेक्षण और डिस्काम कार्य योजना पूरी हो चुकी है।
- बीईई द्वारा डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर मास्टर प्रशिक्षणदाता तैयार करने के लिए डिस्कॉम्स के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण सस्थान को नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 डिस्कॉम के 504 अधिकारियों को प्रशिक्षणदाता क्रियाकलापों के अन्तर्गत मास्टर प्रशिक्षणदाता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

- डिस्कॉम्स के सर्किल स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए चार चुनिंदा एजेंसियों का चयन किया गया। इन कार्यक्रमों में लगभग 5000 अधिकारियों के भाग लेने की आशा है। अब तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागियों के 85 प्रतिशत प्रतिभागी प्रशिक्षित हो चुके हैं।
- वर्ष 2017–2020 के दौरान योजना के अर्न्तगत अन्य 27 डिस्कॉम्स की प्रतिभागिता का लक्ष्य रखा गया है।
- इन 27 डिस्कॉम्स और मौजूदा डिस्कॉम्स के लिए ''डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण'' के अन्तर्गत क्रियाकलाप करने के लिए परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है।

1.5.9 राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीएज) का सुदृढ़ीकरण

राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीएज) को राज्य सरकारों द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 15(घ) के अधीन या तो अकेले एसडीए की स्थापना करके या विद्यमान एजेंसियों/विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप कर अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन 35 राज्य अभिहित एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। इन 35 एसडीएज में से 16 नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियां, राज्य सरकारों के 4 विद्युत विभाग, 7 इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टोरेट कार्यालय, 6 वितरण कम्पनियां और 2 अकेले एसडीएज हैं। एसडीएज का मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का समन्वय, विनियमन करना और उन्हें लागू करना है।

ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन और देश की ऊर्जा गहनता में कमी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने XIवीं योजना के दौरान, ''ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर एसडीएज के सुदृढ़ीकरण'' की योजना का अनुमोदन किया, जो XIIवीं योजना में भी जारी रहा। इस योजना के दो मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

- ऊर्जा दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण का समन्वय, विनियमन करने और लागू करने के लिए राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) को अंशदान देना।

क) राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

2017–18 के दौरान निम्नलिखित संघटकों के कार्यान्वयन के लिए 21 राज्य अभिहित एजेंसियों को 22-61 करोड़ रुपए का वितरण किया गया:

- ऊर्जा दक्षता प्रदशनों के लिए राज्यों की भागीदारिता (एसपीईईडी) – राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा मुख्यतः स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर पम्पिंग, बेकार हीट रिकवरी, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडिशनिंग आदि के क्षेत्रों की निदर्शी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। ये परियोजनाएं विभिन्न विभागों/एजेंसियों के माध्यम से प्रदर्शित प्रौद्योगिकी को दोहराने में अधिकांश राज्य सरकारों की मदद करने में सफल रही हैं।
- मॉडल ऊर्जा दक्ष गांव अभियान–राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा इस शीर्ष के अधीन दी गई निधि

का उपयोग पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड गांव, जिसमें 200 से 250 घर, अदक्ष उपकरणां को बदल कर बीईई स्टार लेबल वाले/ऊर्जा दक्ष उपकरण लगा कर मॉडल ऊर्जा दक्ष गांव बनाने के लिए किया जाएगा। इन उपकरणों में वाटर पम्प, पंखे, गैस स्टोव, डीजल जेनरेटर, वाटर हीटर, स्ट्रीट लाईट और घरेलू प्रकाश व्यवस्था शामिल है।

- राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकरण–इस शीर्ष के अधीन दी गई निधि से राज्य अभिहित एजेंसियां प्रभावी रूप से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का विनियमन करने और लागू करने में समर्थ होती हैं।
- राज्य अभिहित एजेंसियों को मानव शक्ति सहयोग–इस निधि से राज्य अभिहित एजेंसियां राज्यां में ऊर्जा दक्षता से सम्बन्धित क्रियाकलापों का सरलता से समन्वय करने, संचालन करने, विनियमन करने और उन्हें लागू करने के लिए मानव शक्ति का नियोजन करती हैं।
- राज्य ऊर्जा दक्षता अनुसंधान व पहुंच कार्यक्रम–राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया, बैनर्स और ब्रॉशर्स के माध्यम से जागरुकता अभियानो की मार्फत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमां को बढ़ावा दिया जाता है।
- ऊर्जा व्यावसायिकों की कार्यशालाएं/क्षमता निर्माण।
- ऊर्जा दक्षता पर बनाए गए इन्टरनेट प्लेटफार्म और अन्य डेटाबेस का रखरखाव और उन्नयन।

ख) राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्य के अंदर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु एक कोष का गठन करना अपेक्षित होगा, जिसे एसईसीएफ कहा जाएगा। इस संदर्भ में, एक स्कीम, जिसका नाम "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान" है, को 11वीं योजना के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, जो 12वीं योजना के दौरान भी जारी रहा। एसईसीएफ को, बाजार रूपांतरण के द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं चलाने के लिए एसईसीएफ के अंतर्गत वितरित की गई निधि का अधिकांश हिस्सा गतिशील निवेश निधि (आरआईएफ) के रूप में अलग से रखा जाना है। इस आरआईएफ का उपयोग विभिन्न ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों को अधिकतम 4.0 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान देती है, जो 2.0 करोड़ रुपए की दो किस्तों में दी जाती है। एसईसीएफ को अंशदान की दूसरी किस्त तभी दी जाती है जब राज्य बीईई की पहली किस्त के अंशदान के बराबर राशि प्रदान करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा 2.0 करोड़ रुपए के अंशदान के बराबर राशि देने की बजाय 25.0 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट दी गई। 2017–18 के दौरान मिजोरम और सिक्किम की राज्य अभिहित एजेंसियों को अपनी राज्य ऊर्जा खपत निधि की दूसरी किस्त के लिए प्रत्येक 2.0 करोड़ रुपए की निधि का संवितरण किया गया। अभी तक 28 राज्यों द्वारा एसईसीएफ का गठन किया गया है, जिसमें से 24 राज्यों को इसके अनुरूप अंशदान दिया गया है।

2017–18 के दौरान राज्य अभिहित एजेंसियों की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए विशाखापत्तनम और लखनऊ में दो राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

National Workshop for SDAs at Vishkhapatnam

BEE-IGEN Partnership Summit at Lucknow

1.5.10 ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार सभी अभिहित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए किसी मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक से ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना और ऊर्जा प्रबन्धक को अभिहित या नियुक्त करना अनिवार्य है।

बीईई ने ऊर्जा प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन एवं नीति विश्लेषण के कार्य के लिए अर्हताप्राप्त व्यावसायिक ऊर्जा प्रबन्धक और लेखा परीक्षकों का एक संवर्ग बनाया है। बीईई द्वारा मई, 2004 से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का नियमित रूप से आयोजन किया है।

इस समय देश में 15717 ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबन्धक हैं, जिनमें 2004–2017 के दौरान ली गई 18 परीक्षाओं से 9443 प्रबन्धक प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक के रूप में उत्तीर्ण हुए। राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण से आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा और इससे ऊर्जा गहनता में भी कमी आएगी।

1.5.10.1 प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षकों की मान्यता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों को तथा अन्य संगठनों को ''अभिहित उपभोक्ताओं'' के रूप में अभिहित करने की शक्तियों का प्रावधान है, जो अन्य बातों के साथ–साथ मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकों से आवधिक रूप से ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाती है। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस प्रयोजन के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षकों को मान्यता देने का शासनादेश देता है।

मान्यता सलाहकारी समिति द्वारा प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके नाम की सिफारिश की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष बीईई के महानिदेशक होते हैं और इसके सदस्य केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय से चुने जाते हैं और

सिफारिश किए गए नामों का अनुमोदन ब्यूरो की प्रबन्धन सलाहकारी समिति द्वारा किया जाता है। इस समय देश में लगभग 238 मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं।

1.5.10.2 पैट के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक फर्मों का पैनल बनाना

सभी अभिहित उपभोक्ताओं (डीसी) द्वारा पैनल मे रखे गए मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकों से अनुवर्तन और सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इस समय पैनल में रखी गई 52 मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक फर्में हैं, जो सत्यापन और परीक्षण सत्यापन का कार्य कर रही हैं, जिसमें निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट) के अन्तर्गत ऊर्जा खपत मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में अनुवर्तन और सत्यापन करना तथा ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या उनकी खरीद करना शामिल है।

1.5.11 जागरुकता और पहुंच

जनसाधरण के जीवन में स्थायित्व बनाए रखने के लिए उनके उत्तरदायित्व के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (बीईई) के प्रयासों म जलवायु परिवर्तन और स्थायित्व जुड़ा हुआ है। ऊर्जा दक्षता व सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने जनादेश के भाग के रूप में बीईई ने संरक्षण और स्थायित्व को अपनाने के लिए मल्टीमीडिया ऊर्जा जागरुकता अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण के बीच ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरुकता बढ़ाना और उन्हं ऊर्जा संरक्षण की आदत अपनाने के फायदां के बारे में बताया है। लोगों को ऊर्जा गहनता की गुणवत्ता और मानक मुद्दों के बारे में भी बताया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार, डीएवीपी और एनएफडीसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोर तथा प्रिन्ट के माध्यम से मीडिया अभियान चलाया गया। दूरदर्शन, टीवी चैनलों, एफएम स्टेशनों द्वारा (बटन दबाओ, बिजली बचाओ एक लहर आदि) जैसे जिंगल्स का ऑडियो/वीडियो प्रसारण किया गया। विभिन्न रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, रेलगाड़ियों, बसों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर एलईडी/एलसीडी स्क्रीन पर संदेश लगा कर प्रसारित किए गए। एलईडी, इनवर्टर एसी, रेफ्रिजरेटरों आदि के लिए लेबलिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी व स्थानीय भाषाओं में ऊर्जा बचाने के लिए विज्ञापन जारी किए गए। नई दिल्ली क्षेत्र मं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के बारे में जनसाधारण से परस्पर बातचीत करते हुए 60 मिनट का रेडियो मिर्ची प्रोग्राम भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त बीईई ने विभिन्न ऊर्जा दक्षता नीतियां, उपलब्धियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए पीतम पुरा दिल्ली हाट, नई दिल्ली में 13, 14, 15 अक्तूबर, 2017 को चौथा वाइब्रेंट इण्डिया–2017 और मेरी दिल्ली उत्सव में भी भाग लिया।

जागरुकता अभियान के मुख्य बिन्दु

(क) ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण पर संदेश प्रसारित करने के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

(ख) एआईआर एफएम गोल्ड पर ''बचत के सितारे'' के 156 एपिसोड प्रसारित किए गए।

(ग) 20 शहरों में ऊर्जा संरक्षण के संदेश वाले 100 बिल बोर्ड प्रदर्शित किए गए।

(घ) देश भर के 900 सिनेमा घरो मं ऊर्जा संरक्षण पर वीडियो क्लिप्स दिखाए गए।

(ड.) देश भर में एफएम चैनलों पर प्रदर्शनी, रेडियो स्पॉट्स / जिंगल्स का प्रसारण किया गया।

(च) ऊर्जा संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए ब्यूरो के वेब पोर्टलों, फेसबुक, यू ट्यूब चैनल, ट्विट्र हैंडल आदि को भी निरन्तर अपडेट किया गया।

(छ) ऊर्जा दक्षता पर वित्त मंत्रालय / बीईई की झांकी 26 जनवरी, 2018 के लिए अन्तिम चयन तक पहुंच गई।

1.5.12 विद्यार्थी क्षमता निर्माण कार्यक्रम / विद्यार्थी जागरुकता

जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता के लिए विद्यार्थी क्षमता निर्माण म निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:

- राज्य शिक्षा बोर्डों के 6ठी से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों और एनसीईआरटी की पुस्तकां में ऊर्जा दक्षता के पाठ को शामिल करना।
- स्कूल शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम / किताबों मं ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण पर मॉडयूल्स को शामिल करना।
- शिक्षण स्टाफ, ऊर्जा व्यावसायिकों और तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन।
- पम्पों / बॉयलरों / हीटरों / चिल्लरों / पंखों आदि जैसी वस्तुओं के दक्ष उपयोग के लिए ऊर्जा दक्षता पर टिप शीट / फ्लायर बनाना।
- आईटीआई / डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज मं वाद विवाद और स्कूल स्तर पर क्विज कार्यक्रम जैसे जागरुकता क्रियाकलाप।
- इको / ऊर्जा क्लबों की शुरुआत / में बदलाव / का सुदृढ़ीकरण। राज्य अभिहित एजेंसियों को उनके सम्बन्धित राज्यों में जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए सहयोग दिया गया। 19 राज्यों ने स्कूलों में 2224 ऊर्जा क्लबों को स्थापित किया / उनका सुदृढ़ीकरण किया।

1.5.13 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता

1.5.13.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना वर्ष 1991 में आरम्भ की गई थी। यह उद्योगों, परिवहन, संस्थानों, भवनों और उपस्करों द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में नवोन्मेशी प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देता है और इस बात की जागरुकता फैलाता है कि यह ऊर्जा की बचत करके ऊर्जा संरक्षण द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के भारत के प्रयासों में बहुत अधिक योगदान देता है। इस योजना से उद्योग और अन्य संस्थाओं को ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाने का प्रोत्साहन मिला है।

इस पुरस्कार योजना द्वारा ऊर्जा बचत और पर्यावरण की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाता है। 1999 से 2017 तक पिछले 19 वर्षों की पुरस्कार अवधि के दौरान प्रतिभागी इकाइयों ने सामूहिक रूप से 37212 करोड़ रुपए की बचत की है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में किए गए निवेश की राशि 15 महीनों में वसूल हो गई। ऊर्जा के हिसाब से, भागीदार

इकाइयों के ऊर्जा संरक्षण प्रयासों से 44120 मिलियन किलोवाट की बिजली ऊर्जा, 51 लाख किलो लीटर तेल, 226 लाख मीट्रिक टन कोयले और 250 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की बचत हुई है।

वर्ष 2017 में पुरस्कार, 14 इकाईयों को प्रथम पुरस्कार, 15 इकाइयो को द्वितीय पुरस्कार, 22 इकाइयों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिए गए और वर्ष के अत्यन्त ऊर्जा दक्ष 6 उपकरणों को पुरस्कार दिए गए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति 14 दिसम्बर, 2017 को विज्ञान भवन में आयोजित एनईसीए–2017 पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे।

पिछले वर्ष 2017 में प्रतिभागी इकाइयों ने मिलकर ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए 1495 करोड़ रुपए का निवेश किया जिससे 1895 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हुई और निवेश राशि केवल 9.5 महीनों में ही वापस मिल गई। प्रतिभागी इकाइयों ने 2762 मिलियन किलोवाट घण्टा बिजली ऊर्जा बचाई, जो 59.88% की पीएलएफ पर 527 मेगावाट से पैदा होने वाली ऊर्जा के बराबर है। दूसरे शब्दों में, इन प्रतिभागी इकाइयों ने 2016–17 में 527 मेगावाट के बराबर विद्युत सृजन क्षमता की स्थापना में होने वाले खर्च को बचाया है, जो विद्युत मांग को पूरा करने के लिए अन्यथा अपेक्षित हो जाती।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेता – 2017

एल्युमीनियम

द्वितीय पुरस्कार	:	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुरी वर्क्स रांची, (झारखंड)

ऑटोमोबाइल विनिर्माण

प्रथम पुरस्कार	:	टाटा मोटर्स लि., जमशेदपुर (झारखंड)
द्वितीय पुरस्कार	:	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., ऑटो डिवीजन, जहीराबाद प्लांट, मेढक (तेलंगाना)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	टाटा मोटर्स लि., पिम्परी, पुणे (महाराष्ट्र)

ऑटोमोबाइल विनिर्माण (उपांग)

प्रथम पुरस्कार	:	एन्डयूरंस टेक्नोलॉजीस लि., औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार	:	ईंजन फैक्ट्री, अवाडी, चैन्नई (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	सब्रोज लि., मानेसर (हरियाणा)

सिरेमिक्स

प्रथम पुरस्कार	:	क्रिस्टल सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि., मेहसाना (गुजरात)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	सिरा सेनेटरीवेयर लि., काडी (गुजरात)

डेयरी

प्रथम पुरस्कार	:	मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रा. लि., पटपड़गंज (नई दिल्ली)
द्वितीय पुरस्कार	:	हेरिटेज फूड्स लि., चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)

उर्वरक (यूरिया)

प्रथम पुरस्कार	:	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पानीपत (हरियाणा)
द्वितीय पुरस्कार	:	इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि., एओनला इकाई–II, बरेली (उत्तर प्रदेश)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि., फूलपुर, इकाई–II, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 2) ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि., इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स, अमेठी (उत्तर प्रदेश) 3) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नांगल (पंजाब)

उर्वरक (फॉस्फेट)

द्वितीय पुरस्कार : इफको पारादीप, जगतसिंहपुर (उड़ीसा)

फोर्जिंग

द्वितीय पुरस्कार : एल एण्ड टी स्पेशल स्टील्स एंड हैवी फोर्जिंग्स प्राइवेट लि., सूरत (गुजरात)

योग्यता प्रमाणपत्र : एस.एन. मेटलॉजिकल एसोसिएट्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

खनन

द्वितीय पुरस्कार : सिंडसर खुर्द माइन, हिन्दुस्तान जिंक लि. – वेदांता रिर्सोसिस पीएलसी, राजसमन्द (राजस्थान)

योग्यता प्रमाणपत्र : माइन–1, एनएलसी इंडिया लि., नवेली (तमिलनाडु)

नगर पालिकाएं

प्रथम पुरस्कार : साउथ दिल्ली नगर पालिका (नई दिल्ली)

योग्यता प्रमाणपत्र : स्थानीय निकाय निदेशालय, स्थानीय स्व–सरकार विभाग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय भवन एवं बीपीओ (10 लाख इकाइयों से अधिक)

प्रथम पुरस्कार : शास्त्री भवन, सीपीडब्ल्युडी (नई दिल्ली)

द्वितीय पुरस्कार : संचालन भवन, साउथ सेन्ट्रल रेलवे, सिकन्दराबाद डिवीजन, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)

योग्यता प्रमाणपत्र :
1. आईसीआईसीआई बैंक लि., एम्पायर टावर, लोअर परेल, (मुम्बई)
2. सिकन्दराबाद स्टेशन भवन, साउथ सेन्ट्रल रेलवे, सिकन्दराबाद डिवीजन, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)
3. आईसीआईसीआई बैंक लि., चांदीवली (मुम्बई)

कार्यालय भवन एवं बीपीओ (10 लाख इकाइयों से कम)

प्रथम पुरस्कार : राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लि., (भारत सरकार का उद्यम) जयपुर (राजस्थान)

द्वितीय पुरस्कार : डीआरएम कार्यालय भवन, पश्चिम रेलवे, भावनगर पारा (गुजरात)

योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. डिवीजनल रेलवे मैनेजर कार्यालय, राजकोट, (गुजरात) 2. जनरल पोस्ट ऑफिस, नागपुर (महाराष्ट्र) 3. आईसीआईसीआई बैंक लि.–हैरिटेज चैम्बर्स, अहमदाबाद (गुजरात)

रंग रोगन और सम्बद्ध उत्पाद

द्वितीय पुरस्कार	:	बीपी कोटिंग्स प्राइवेट लि., खेड़ा (गुजरात)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	कंसाई नेरोलेक पेंट्स लि., रेवाड़ी (हरियाणा)

पेट्रोलियम पाइपलाइन

योग्यता प्रमाणपत्र	:	आईओसी कॉट पम्पिंग स्टेशन, पाली (राजस्थान)

रेलवे वर्कशॉप्स

प्रथम पुरस्कार	:	सेन्ट्रल वर्कशॉप, दक्षिण रेलवे, पोनमलाई, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
द्वितीय पुरस्कार	:	रेलवे कैरिज वर्कशॉप, जोधपुर (राजस्थान)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	कैरिज एण्ड वैगन वर्कशॉप–जगाधरी वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, यमुना नगर (हरियाणा)

रिफाइनरी

प्रथम पुरस्कार	:	भारत ओमान रिफाइनरीज लि., बीना (मध्य प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि., बोंगईगांव रिफाइनरी, चिरंग (असम)

राज्य अभिहित एजेंसियां

प्रथम पुरस्कार	:	एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम् (केरल)
द्वितीय पुरस्कार	:	आन्ध प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन, विजयवाड़ा (आन्ध प्रदेश)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1) महाराष्ट्र एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी, पुणे (महाराष्ट्र) 2) राज्य अभिहित एजेंसी, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

थर्मल पावर स्टेशन
(कोल फायर्ड प्लांट्स–100 मेगावाट क्षमता से अधिक)

प्रथम पुरस्कार	:	जीएमआर वारोरा एनर्जी लि., वारोरा (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार	:	मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी, नागपुर (महाराष्ट्र)

थर्मल पावर स्टेशन
(गैस फायर्ड प्लांट्स–100 मेगावाट क्षमता से अधिक)

प्रथम पुरस्कार : एनटीपीसी लि.– केवास गैस परियोजना, सूरत (गुजरात)
योग्यता पुरस्कार : प्रगति पावर स्टेशन, हिमाद्रि (नई दिल्ली)

थर्मल पावर स्टेशन
(कोयला व गैस फायर्ड प्लांट्स–100 मेगावाट क्षमता से कम)

प्रथम पुरस्कार : अल्ट्रा टैक सीमेंट लि.–कोटपुतली सीमेंट वर्क्स, जयपुर (राजस्थान)
योग्यता प्रमाणपत्र : अल्ट्रा टैक सीमेंट लि.–अवरपुर सीमेंट वर्क्स थर्मल पावर स्टेशन, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

वर्ष के अत्यधिक ऊर्जा दक्ष उपकरण

एयर कंडिशनर (फिक्स्ड एंड वेरिएबल स्पीड एयर कंडिशनर)

मॉडल नम्बर : जेटीकेएम 50 एसआरवी16 आरकेएम 50 एसआरवी 16 (डेकिन एयरकंडिशनिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड)

छत के पंखे

मॉडल नम्बर : एसेट डेको 50 (क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंस्युमर इलेक्ट्रिकल्स लि.)

रेफ्रिजरेटर (डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर)

मॉडल नम्बर : आरडी ऐज प्रो 190 पीडीएस 5.2 (गोदरेज एण्ड बायस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड)

स्टोरेज वाटर हीटर

मॉडल नम्बर : रेकॉल्ड ईएसडब्ल्युएच–25 वी (एरिस्टन थर्मो इण्डिया प्राइवेट लि.)

रंगीन टीवी

मॉडल नम्बर : एलईडी–3219 (इन्टेक्स टेकनॉलोजीस इण्डिया लि.)

पम्प (मोनोसैट, ओपन वैल एण्ड सबमर्सिबल पम्प)

मॉडल नम्बर : सीआरआई 4 आर–5 / 07 (सी.आर.आई. पम्प्स प्राइवेट लि.)

1.5.13.2 स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

स्कूल जाने वाले बच्चे न केवल अपने अभिभावकों, भाइयों और बहनों को अपने साथ लेकर अपितु शिक्षकों, पड़ोसियों इत्यादि अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए समाज में अपेक्षित बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस दृष्टिकोण से, स्कूली बच्चों को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा दक्षता के प्रति संवेदनशील बनाते हुए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) श्रेणी 'क' के अंतर्गत चौथी, पांचवी व छठी कक्षा के लिए तथा श्रेणी 'ख' के अंतर्गत सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करके समग्र भारत में राष्ट्रीय जागरुकता अभियान चलाता है।

तीन चरणों में अर्थात् स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 95,000 रुपए के नकद पुरस्कार प्रति राज्य/प्रति संघ शासित क्षेत्र श्रेणी (36 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 34.20 लाख रुपए प्रति श्रेणी अथवा दोनों श्रेणियों के लिए 68.40 लाख रुपए) राज्य स्तर के विजेताओं में वितरित किए गए। 14 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता की दोनों श्रेणियों के विजेताओं को 10.35 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2017 के दौरान इस प्रतियोगिता में रिकार्ड स्तर पर 1.22 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% अधिक है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के 19 विजेताओं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भेंट किए।

1.5.14 विविध

ऊर्जा संरक्षण सूचना संग्रहण केन्द्र

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण और उत्पादों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएं एवं सम्बन्धित अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए पैटनेट पोर्टल नामक ऑन लाइन प्लेटफार्म बनाया है। अभिहित उपभोक्ताओं और बीईई के अधिकारियों, विद्युत मंत्रालय, राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) आदि जैसे स्टेकहोल्डरों को भी सूचना के संग्रहण, अनुवर्तन और मूल्यांकन करने के लिए इस पोर्टल पर पहुंचने की व्यवस्था की गई है।

1.6 शासी परिषद की संरचना

ब्यूरो का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबन्धन का कार्य शासी परिषद् के पास निहित है, जिसमें कम से कम बीस और अधिकतम छब्बीस सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। शासी परिषद् के निम्नलिखित सदस्य हैं:

(क) विद्युत से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री – पदेन सदस्य

(ख) सचिव, भारत सरकार, विद्युत से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(ग) सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(घ) सचिव, भारत सरकार, कोयले से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(ड.) सचिव, भारत सरकार, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(च) सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(छ) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी – पदेन सदस्य

(ज) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष – पदेन सदस्य

(झ) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक – पदेन सदस्य

(ञ) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का कार्यपालक निदेशक – पदेन सदस्य

(ट) केन्द्रीय खनन योजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक – पदेन सदस्य

(ठ) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक – पदेन सदस्य

(ड) राष्ट्रीय परीक्षणशाला, पूर्ति विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के महानिदेशक – पदेन सदस्य

(ढ) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि. के प्रबन्ध निदेशक – पदेन सदस्य

(ण) विद्युत क्षेत्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विद्युत क्षेत्रों से प्रत्येक एक सदस्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है – सदस्य

(त) ऐसे व्यक्तियों, जो केन्द्रीय सरकार की राय में समर्थ हों या उद्योग, उपकरण, उत्पादन, वास्तुकारों और ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, में से सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या, चार से अधिक नहीं, जो भी निर्धारित की जाए – सदस्य

(थ) सदस्यों के रूप में शासी निकाय द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, दो से अधिक नहीं – सदस्य

(द) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक – पदेन सदस्य. सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद् की 7वीं बैठक दिनांक 12 फरवरी, 2018 को श्री आर. के. सिंह, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में हुई थी।

2

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

क. देश, जिनसे सक्रिय भागीदारी है

(i) इंडो जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

- **इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ)**

इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार और भारत सरकार के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाआं में निवेश एवं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए वार्ता तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडो–जर्मन सहयोग को और गहन करने के लिए अप्रैल, 2006 की गई थी। यद्यपि आईजीईएफ भारत और जर्मनी की उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता है, तथापि आईजीईएफ स्पोर्ट ऑफिस को इंडो–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) की संरचना में शामिल किया गया है।

इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम के अंतर्गत, 3 उप–समूह हैं। उप–समूह 1 में, जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों में दक्षता उन्नयन, उप समूह 2 में नवीकरणीय ऊर्जा और उप–समूह 3 में मांगपक्ष ऊर्जा दक्षता तथा निम्न कार्बन वृद्धि कार्यनीतियां हैं। उप समूह 3 में, भारतीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एनर्जी (बीएमडब्ल्यूआई) और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर दि इनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन, भवन और न्यूक्लीयर सुरक्षा (बीएमयूबी) मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि वे अपने अपने अपने देशों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकें। यह लक्ष्य दोनों देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति–निर्णायकों के बीच एक रचनात्मक वार्ता करके प्राप्त किया जाता है।

अभी तक आईजीईएफ की सात बैठकें हो चुकी हैं और इसकी आखिरी बैठक 12 दिसम्बर, 2017 को हुई थी, जिसमें भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक, श्री अभय बाकरे द्वारा सह अध्यक्षता की गई थी जबकि जर्मनी की ओर से इसकी अध्यक्षता डॉ. जार्ज माउ, प्रभाग के उपाध्यक्ष, जनरल इशुज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनोमिक्स एण्ड

एनर्जी (बीएमडब्ल्युआई), जर्मनी सरकार द्वारा की गई थी। इस बैठक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और जर्मन एम्बेसी, केएफडब्ल्यु और जीआईजैड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उप समूह 3 के माध्यम से किए गए पिछले क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- काफी समय से संयुक्त ऊर्जा व विद्युत सृजन के अवसरों पर विचार विमर्श होता रहा, परन्तु अब जीआईजैड के सहयोग से नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर में एक डेमो ट्राइजेनेरेशन संयंत्र लगाया गया।
- आवासीय भवनों के क्षेत्र मे फ्रॉनहॉफर इंस्टिट्यूट और टेरी ने संयुक्त रूप से ऊर्जा कार्य निष्पादन निर्धारण उपकरण विकसित है, जो भारत के आवासीय भवनों के क्षेत्र में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों से संभावित ऊर्जा बचत का परिकलन करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों मे ऊर्जा दक्षता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय इन्टरनेट आधारित ज्ञान प्लेटफार्म के विकास के लिए जर्मनी सरकार की ओर से बिगईई नामक एक प्रयास किया गया है जिसका अभिप्राय ''ऊर्जा दक्षता पर सूचना अन्तराल को पाटना'' है।

  12 दिसम्बर, 2017 को आयोजित उप–समूह 3 की बैठक के दौरान उप–समूह 3 के माध्यम से किए जा रहे क्रियाकलापों की समीक्षा की गई।
- आज भारत में कूलिंग की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए 15 सितम्बर, 2016 टेलिकॉन्फ्रसिंग के माध्यम से हुई उप समूह 3 की पिछली बैठक में जर्मनी की ओर से भारत की कूलिंग मांग का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की गई, जो जिले की कूलिंग संभावनाओं की व्यवहार्यता पर भी प्रकाश डालेगी, जिस पर भारत के प्रतिनिधि सहमत हो गए। इस सम्बन्ध में '2027 में भारत की कूलिंग मांग' पर अध्ययन भी किया गया और दोनों ही पक्ष इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने का कार्य कर रहे हैं।
- इण्डो जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) के अन्तर्गत सहयोग क्षेत्र के रूप में ऊर्जा दक्षता कूलिंग का अभिनिर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में ऊर्जा दक्षता कूलिंग का कार्य करने के लिए डीईए की सहमति प्राप्त हो गई है।
- टेरी द्वारा भारत में ऊर्जा दक्षता सम्भावनाओं पर एक अध्ययन किया जा रहा है।

- **इण्डो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम (आईजीईएन)**

जब से ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का पूर्ववर्ती संगठन है, द्वारा मई, 1995 में इण्डो जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना आरम्भ की गई थी, तभी से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 1995 से ही इण्डो जर्मन तकनीकी सहयोग का कार्य चल रहा है। यह परियोजना 2000 में पूरी हो गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का अधिनियमन होने और 1 मार्च, 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होने से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और इनके समर्थन के उद्देश्य से इण्डो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम (आईजीईएम) परियोजना के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में सहयोग जारी रहा। चरण-I के

सफलतापूर्वक पूरा होने पर अक्टूबर, 2013 से इस प्रोग्राम का दूसरा चरण चार वर्ष की अवधि के लिए शुरु किया गया, जो सितम्बर 2017 को पूरा हो जाना था।

कार्यक्रम का चरण-III% पैट चक्र-II में तीन नए क्षेत्रों रिफाइनरी, रेलवे और डिस्कॉम्स को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में शामिल किया गया। पैट चक्र-II के लिए ऐसे क्षेत्रों के लिए ऐसी ही प्रक्रिया अपनाना अपेक्षित है, जो पैट चक्र-I में अपनाई गई थी।

जीआईजैड ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए टीए सहयोग प्रदान करने पर विचार किया है:

- इंडो जर्मन एनर्जी कार्यक्रम (आईजीईएन) के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कूलिंग का सहयोग क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारण किया गया है। दिल्ली में 19 जून, 2017 को आयोजित विकास सहयोग पर इंडो जर्मन परामर्शदाताओं की समीक्षा बैठक के दौरान जर्मन मिनिस्टरी ऑफ एनवायरमेंट, नेचर कन्सर्वेशन, बिल्डिंग एंड न्युक्लियर सेफ्टी (बीएमयूबी) ने ऊर्जा दक्षता कूलिंग परियोजना के लिए निधि प्रदान करने की सिद्धान्त रूप से सहमति दे दी है। इस सम्बन्ध में बीईई ने ऊर्जा दक्षता कूलिंग पर प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) विद्युत मंत्रालय को भेज दी है। पीपीआर में मौटे तौर पर समग्र उद्देश्य और क्रियाकलाप दिए गए हैं जो ऊर्जा दक्षता कूलिंग परियोजना के अर्न्तगत किए जाएंगे। इसकी परियोजना लागत अनुमानतः 21 करोड़ रुपए/3 मिलियन यूरो है और इसकी कार्यान्वयन अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2021 है। इस समय पीपीआर डीईए के विचाराधीन है।
- बीईई और जीआईजैड ने आईजीईएन के ढांचे के अधीन (आईजीईएन के ढांचे के अधीन बीईई और जीआईजैड के बीच मौजूदा कार्यान्वयन करार के अधीन) आवासीय भवनों के क्षेत्र में सहयोग को अन्तिम रूप देने के लिए 14 दिसम्बर, 2017 को पूरक करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- बीईई और जीआईजैड द्वारा लोगों को अपने घरों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे भवन सामग्री, इसके डिजाइन की विशिष्टियों और उपकरणों के बारे में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इको–निवास संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वेबसाइट इन ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाते हुए ऊर्जा की बचत संभावनाओं के बारे में उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इस पोर्टल की शुरुआत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2017 को की गई थी।
- पैट चक्र-I के सफलतापूर्ण पूरा होने में जमर्नी की तरफ से सहयोग दिया गया और इस साझेदारी को, नए क्षेत्र शामिल करते हुए इसके दायरे को बढ़ाते हुए और पैट के मौजूदा क्षेत्रों के अधीन उद्योगों का विस्तार करते हुए पैट के अनुवर्ती चक्रों के लिए जारी रखा गया। आवासीय भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को समझने के लिए भी बीईई और जीआईजैड द्वारा बहुमंजिले आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता भवन कोड बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया है।

- जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनोमिक को–ऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (बीएमजैड) ने परियोजना के लक्ष्यों में निम्नलिखित संशोधन करते हुए तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक सेवाओं का विस्तार करते हुए 8 अगस्त, 2017 को आईजीईएन कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करके इसके दायरे को बढ़ाने की सहमति दे दी है।
- नए बड़े आवासीय भवनों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मानकों के विकास के लिए तकनीकी सहायता।
- नए बहुमंजिले आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता मानकों को आदेशात्मक रूप से लागू करने से सम्बन्धित उपबन्ध शामिल करने के लिए तकनीकी सहायता। इसे देखते हुए जीआईजैड ने पूरक करार का मसौदा डीईए को भेज दिया है।

(ii) भारत–जापान ऊर्जा वार्ता

दिसम्बर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत जापान ऊर्जा वार्ता आरम्भ की गई थी, जिसकी सह अध्यक्षता योजना आयोग के अध्यक्ष तथा माननीय मंत्री, आर्थिक व्यापार एवं उद्योग (एमईटीआई) मंत्रालय द्वारा की गई थी। भारत–जापान की 9वीं ऊर्जा वार्ता 1 मई, 2018 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महामहिम श्री हिरोशिगे सेको, मिनिस्टर ऑफ इकोनोमी, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (एमईटीआई) ऑफ जापान और श्री राज कुमार सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, भारत द्वारा की गई थी।

- **नवीन क्रियाकलाप**
  - 31 मई, 2017 को हुई कार्यकारी समूह की बैठक में ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों पर सहयोग परियोजना, ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल, ऊर्जा प्रबन्धक और ऊर्जा लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण, बेकार उष्मता वसूली, भवनों म हीट पम्प, फाउंड्री क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति मार्गदर्शक आदि पर विचार विमर्श किया गया।
  - 12 अक्तूबर, 2017 दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पक्ष ने ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मौजूदा स्थिति और भावी योजनाआं के बारे मं समाधान किया गया। जापान पक्ष ने भारत की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों (आईओटी का उपयोग आदि) के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, कई सरकारी/अर्ध–सरकारी एजेंसियों, विदेश मंत्रालय, भारत में जापान एम्बेसी, नवीन ऊर्जा – एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) तथा निजी क्षेत्रों के अधिकारियों ने भागीदारी की।
  - दूसरी कार्यशाला 15–19 जनवरी, 2018 को जापान में आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों की स्टियरिंग कमेटी, क्षेत्र विशेषज्ञों, ऊर्जा संरक्षण केन्द्र, जापान (ईसीसीजेके) के विशेषज्ञां और अभिहित उपभोक्ताओं को मसौदा मार्गनिर्देशों पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जापानी

विशेषज्ञों की टिप्पणियों सहित ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप देने के लिए भारत की सहायता करना था। कार्यशाला के दौरान भागीदारां से प्राप्त जानकारी और ईसीसीजे से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों में संशोधन किया गया।

- भारत में भारतीय उद्योगों के लिए अन्तिम ऊर्जा दक्षता मार्गनिर्देश प्रलेख का मई, 2018 को लागू किया गया।

- **किए गए क्रियाकलापः**
  - ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल बनाना

    जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के बारे मं विचार–विमर्श करने हेतु 17 नवम्बर, 2016 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा संरक्षण केन्द्र जापान (ईसीसीजे), ऊर्जा व संसाधन संस्थान (टेरी) और विभिन्न उद्योग उप–समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिहित उपभोक्ताओं ने भाग लिया। जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअलों के फायदों के बारे में बताया गया। इन मार्गनिर्देशों और मैनुअलों से भारतीय उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - 23 से 27 फरवरी, 2017 को जापान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के विवरण की जानकारी लेने के लिए एक बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई।
  - स्टियरिंग कमेटी की प्रथम बैठक वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान भारतीय उद्योगों और कार्यान्वयन योजना के लिए मसौदाबद्ध ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों पर चर्चा करने के लिए 21 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी।
  - औद्योगिक संघ से प्राप्त सूचना के आधार पर ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के दूसरे ड्राफ्ट पर कार्रवाई करने के लिए 15 जनवरी से 19 जनवरी, 2018 को टोक्यो में एक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। जापान में हुई इस कार्यशाला में विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और टीईआरआई ने भी भाग लिया। ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश के संशोधित मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए दूसरी गोल मेज चर्चा भी 26 फरवरी, 2018 को आयोजित की गई।

- **एनईडीओ निदर्शन परियोजनाएं**
  - आन्ध्र प्रदेश में सिन्टर कूलर बेकार ऊष्मा वसूली के लिए मॉडल परियोजना।
  - झारखण्ड कोक ड्राई क्वेंचिंग सिस्टम (सीडीक्यू) द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ाने के लिए मॉडल परियोजना।

- आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट प्लांट की बेकार ऊष्मा वसूली सिस्टम के लिए मॉडल परियोजना।

- **संयुक्त नीति अनुसंधान**
  - स्टील, सीमेंट, मशीन टूल्स और इन्वर्टर–एयर कंडिशनरों पर संभावी बाजार तथा प्रोद्यौगिकी सर्वेक्षण (आईईईजे–टीईआरआई)।
  - ईंधन उप–सहायता आदि के उन्मूलन आदि पर बाजार विश्लेषण व प्रोत्साहन (आईईईजे–पीडीपीयू)।
- **क्षमता निर्माण**
  - ऊर्जा दक्षता के लिए हीट पम्प सिस्टम को गहराई से समझने और इसे बढ़ावा देने के लिए ''हीट पम्प कार्यशाला'' का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों सहित 60 लोगों ने भाग लिया।
  - फरवरी, 2015 के दौरान जेआईसीए द्वारा जापान में भारतीय ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का कन्ट्री फोकस्ड ट्रेनिंग पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।
- **औद्योगिक ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम**
  - जापान में लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, एल्यूमिनियम, रिफाइनरी जैसे अत्यन्त ऊर्जा दक्ष क्षेत्र हैं, जो पैट क्षेत्र मं आते हैं। जापान सरकार ने इन क्षेत्रों में अपनाई गई ऊर्जा दक्ष पद्धतियों की जानकारी के आदान–प्रदान के लिए सहयोग दिया है।

(iii) भारत–अमरीका सहयोग

भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय "विद्युत और ऊर्जा दक्षता" पर एक कार्यकारी समूह का नेतृत्त्व कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में भारत–अमरीका सहयोग मुख्यतः नूतन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विनियोजन और अंतरण के लिए कार्य कर रहा है। 19 अगस्त, 2015 को भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत कार्यकारी समूह की बैठक (वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से) आयोजित की गई।

भारत और अमरीका के बीच सहयोग का प्रमुख साधन है – उन्नत स्वच्छ ऊर्जा विनियोजन (पीएसीई–डी) कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों में औद्योगिक दक्षता, भवन ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता निधीयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण है।

- **किए गए क्रियाकलाप**
- **भवन**
  - ईसीबीसी 2017 तकनीकी अपडेट और विकास के लिए सहायता। ईसीबीसी 2017 एक व्यापक कोड है, जो नए वाणिज्यिक भवनों द्वारा निवल शून्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईसीबीसी और सुपर ईसीबीसी की अवधारणा निर्मित करता है।

- **ऊष्मायन, संवातन और वातानुकूलन (एचवीएसी)**
  - भारत में ऊर्जा दक्ष एचवीएसी प्रौद्योगिकियों के बड़े स्तर के नियोजन की सम्भावनाओं को समझने के लिए बाजार निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया।
  - भारतीय मौसम ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर) के विकास के लिए सहायता प्रदान की गई।
- **वित्तीय संस्थानों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन और क्षमता निर्माण।**
  - बीईई और यूएसएआईडी द्वारा ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मार्गनिर्देशों सहित ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कार्य कर रहे वित्तीय संस्थानों के ऋण अधिकारियों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण सामग्री और ऊर्जा दक्ष वित्तीयन मैनुअल तैयार किए गए।
- **विनियामक और नीतिगत ढांचे के लिए सहायता**
  - यूएसएआईडी नें ऊर्जा दक्ष कार्य योजनाएं बनाने में हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

    पीएसीई–डी कार्यक्रम की अवधि दिसम्बर, 2017 में पूरी हो गई है।

(iv) भारत–इंग्लैंड

नवम्बर, 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के इंग्लैंड दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- बाजार सुधार, नियामक ढांचे और विनियमों सहित बिजली की आपूर्ति और वितरण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका और नवीकरणीय ऊर्जा नियोजन के लिए प्रोत्साहन
- ग्रिड मे नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण
- औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और वाहनीय ऊर्जा सहित ऊर्जा दक्षता नीतियां और प्रक्रिया
- अप–तटीय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा
- स्मार्ट ग्रिड्स
- ऊर्जा भंडारण एवं नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियां
- नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों का क्षमता निर्माण
- ग्रिड से भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा सेवाएं
- ज्वारीय ऊर्जा
- भागीदारों द्वारा लिखित में अनुमोदित सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र।

  समझौता ज्ञापन में इंग्लैंड द्वारा शुरु की गई उपयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से परस्पर सहमत प्रत्यक्ष अनुदान और अन्य सहायता सहित तकनीकी सहायता की संरचना की भी व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन समय समय पर आधारित परियोजना विशिष्ट करारां के विकास

को भी प्रोत्साहन देता है।

इसके अन्तर्गत कार्य योजनाएं बनाने और विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए विद्युत पर संयुक्त कार्यकारी समूह और कार्य दल का गठन किया गया। कार्य दल की पहली बैठक ब्यूरो मे 20 सितम्बर, 2017 को हुई थी।

- **किए गए क्रियाकलाप**
  - **औद्योगिक ऊर्जा दक्षता**

    ज्ञान के आदान–प्रदान मंच के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के बारे मं बताना, यह मंच उद्योगां को नई दक्ष प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां को अपनाने एवं ऊर्जा दक्षता निधि के कार्यान्वयन में मदद करता है।
  - **राज्यों में मांग पक्ष प्रबन्धन योजनाओं का कार्यान्वयन।**

    आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए डीएसएम का विकास।
  - **भारत के लिए ऊर्जा दक्षता नीतिगत योजना का डिजाइन बनाने और उसका कार्यान्वयन करने में सहायता करना।**

    इंग्लैंड द्वारा भारत के साथ नीतिगत योजना के विकास, ऊर्जा दक्षता नीति और कार्बन बजटिंग दृष्टिकोण आदि से इंग्लैंड से जानकारी लेना।

(v) भारत–स्विट्जरलैंड

इस ढांचे के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस कन्फेडरेशन के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफडीएफए) के बीच भारत स्विस ऊर्जा दक्षता निर्माण परियोजना (बीईईपी) आरम्भ की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि स्विस एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एण्ड कोऑपरेशन (एसडीसी) एफडीएफए की ओर से एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, भारत में नए भवनों में ऊर्जा खपत में कमी लाने के समग्र उद्देश्य से 8 नवम्बर, 2011 को दोनों सरकारों ने पांच वर्ष की एक संयुक्त परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 7 नवम्बर, 2016 तक वैध था।

2011–2016 के दौरान परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों सरकारें इस समझौता ज्ञापन की अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हो गईं, नवम्बर, 2016 में बीईई (8 नवम्बर, 2016–17 नवम्बर, 2021) के अनुवर्तन चरण के लिए इसकी अवधि बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री पीयुष गोयल, माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, खनन राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में बीईईपी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 नवम्बर, 2016 को दोनों देशों के बीच अनुवर्तन चरण के समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान हुआ।

- **द्विपक्षीय सहयोग के अर्न्तगत किए गए क्रियाकलापः**
  - ऊर्जा दक्ष भवनों का डिजाइन बनाने के लिए इनटेग्रेटिड डिजाइन प्रौसेस के माध्यम से बिल्डरों और डिवेलपर्स को तकनीकी सहायता। इस सहायता के अर्न्तगत दी स्मार्ट गृह

परियोजना की मदद की गई, जिसका निर्माण प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजकोट नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है।

- देशीय विकास और टैस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष आवासीय और सार्वजनिक भवनों के डिजाइन के लिए मार्गनिर्देश बनाना।
- ज्ञान प्रसारण और प्रशिक्षणः इस परियोजना ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, वेब आदि के माध्यम से मुख्य स्टेकहोल्डरों में जागरुकता पैदा करना और तकनीकी क्षमताओं का विकास करने मं सहयोग दिया है। विशेष प्रशिक्षण और जागरुकता मॉडयूल्स का विकास किया है। बीईईपी ने 20 सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें 1500 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया है।

ख. देश, जिनसे सहयोग लिया जा रहा है

(i) भारत–चीन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भारत और चीन के बीच 26 नवम्बर, 2012 को पांच वर्ष तक कार्य करने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अर्न्तगत स्थापित संसाधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर कार्यकारी दल का एक हिस्सा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हैः

समझौता ज्ञापन के अर्न्तगत कार्य बिन्दुः

- उद्योगों (सीमेंट, कागज और स्टील) में ऊर्जा दक्षता के संवर्धन में सहयोग। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले मुख्य ऊर्जा दक्ष उद्योगों पर विचार करते हुए यह ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बचत के बहुत अधिक अवसर प्रदान करता है। भारत और चीन के उद्योगों के बीच ज्ञान के आदान–प्रदान की सुविधा – तृतीय एसईडी के अनुरूप भारतीय उद्योगों (सीमेंट, स्टील और कागज) के प्रतिनिधियों के लिए बीजिंग जाने का आयोजन किया जाएगा।
- भारत और चीन के उद्योगों के बीच ज्ञान की साझेदारी– चीन के ईएससीओ द्वारा भारत के ईएससीओ का बीजिंग का दौरा करवाना।
- तापीय विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता के संवर्धन और प्रदूषित तत्वों को घटाने के लिए प्रौद्योगिकी का आदान–प्रदान।

अप्रैल, 2018 के दौरान आयोजित 5वीं भारत चीन नीतिगत ऊर्जा दक्षता के सहयोग पर वार्ता के दौरान ऊर्जा दक्षता के सहयोग पर आगे चर्चा की जाएगी।

(ii) भारत–फ्रांस

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और फ्रेंच इनवायरमेंट एण्ड एनर्जी मेनेजमेंट एजेंसी के बीच मई, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर तीन वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए, जिसे पारस्परिक हित से अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। समझौता ज्ञापन की उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

- हरियाणा और पंजाब में राज्य अभिहित एजेंसियों मं ऊर्जा दक्षता पर जागरुकता पैदा करने के लिए ऊर्जा सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- मांग पक्ष प्रबन्धन इंटरनेट पोर्टल का सफलतापूर्वक सृजन किया गया है और एडीईएमई की सहायता से इसे शुरु किया गया है और यह www.bee-dsm.in पर उपलब्ध है।
- एमएसएमईज में ऊर्जा दक्षता पद्धतियों और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों की साझेदारी और भारतीय एमएसएमईज ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग और मैपिंग।

चालू वर्ष में इस समझौता ज्ञापन के विस्तार का संशोधन किया जाना है। मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार कर लिया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।

(iii) भारत–रूस

नवम्बर, 2013 में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी, सूचना और सर्वोत्तम कार्य–विधियों को साझा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और रूसी ऊर्जा एजेंसी के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

- ऊर्जा प्रबन्धन, ऊर्जा लेखा–परीक्षा और ऊर्जा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव को साझा करना।
- सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को तकनीकी सहायता।
- प्रतिनिधि मंडलों का आपसी दौरा।

ग. नया द्विपक्षीय सहयोग

भारत और तंजानिया, बुल्गारिया उजबेकिस्तान चेक रिपब्लिक, तजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के बीच ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नए सहयोग प्रस्ताावित हैं।

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

(i) ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी (आईपीईईसी)

- ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी (आईपीईईसी) एक उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता (ईई) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और वैश्विक रूप से सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता से लाभ होने वाली नीतियां बनाना है। मई, 2009 में इसकी स्थापना से ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सुधार एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आईपीईईसी, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के बीच भागीदारी करके, ऊर्जा दक्षता से संबंधित सूचना का आदान प्रदान कर विश्व भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्ष शुरुआतों को सहायता देता है। आईपीईईसी द्वारा समर्थनकारी शुरुआतें इसके सदस्य और गैर सदस्य देशों तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए खुली हुई हैं।

- आईपीईईसी का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है आईपीईईसी के सदस्यों में 16 देश अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और अमरीका शामिल हैं। जी20 ऊर्जा दक्षता कार्य योजना की घोषणा से आईपीईईसी का प्रसार महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। भारत चार क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा दक्षता निधीयन, औद्योगिक ऊर्जा प्रबन्धन, परिवहन और बिजली का उत्पादन करने के क्षेत्रों में भागीदारी कर रहा है। यह साझेदारी आईपीईईसी के सदस्यों और और अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक सहयोग (वीसी) पर निर्भर करती है। इस स्वैच्छिक सहयोग में वित्तीय और इन–काइंड सहयोग शामिल है।
- आईपीईईसी तकनीकी कार्यगत कार्यक्रम में अनेक क्षेत्र हैं। सदस्य देश निष्ठावान कार्य समूह का नेतृत्त्व और भागीदारी करते हैं, जो आईपीईईसी के तकनीकी कार्यगत कार्यक्रम का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं। कार्य दलों को उनके भागीदार सदस्यों द्वारा सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं।
- आईपीईईसी का संचालन एक कार्यकारी समिति (एक्ससीओ), एक नीतिगत समिति (पीओसीओ) और एक सचिवालय द्वारा किया जाता है। दोनों कार्यकारी समिति (मौजूदा अध्यक्ष कनाडा) और नीतिगत समिति (मौजूदा अध्यक्ष अमरीका) प्रशासनिक, नीतिगत और तकनीकी मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं। ये समितियां आईपीईईसी के सदस्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर गठित की जाती हैं। भारत एक्ससीओ और पीओसीओ का उपाध्यक्ष है।
- कार्यकारी समिति सदस्य देशों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है, उन्हें स्वीकार करती है और प्रत्येक वर्ष के लिए बजट बनाती है, सदस्यता के अनुरोधों की जांच करती है, सचिवालय का मार्गदर्शन और निगरानी करती है और कार्यकारी समूह के कार्यों की समीक्षा करते समय कार्यकारी समूहों के लिए प्रस्ताव बनाती है।
- संयुक्त समिति आईपीईईसी के समग्र ढांचे और नीतियों का नियन्त्रण, कार्य समूह की प्रगति का अनुवर्तन तथा कार्यकारी समिति एवं सचिवालय के कार्यों का अनुवर्तन करती है। अब तक नीतिगत समिति की 13 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी पिछली बैठक 16–17 फरवरी, 2017 को हुई थी।
- सचिवालय, जो इसके कार्यपालक निदेशक के अन्तर्गत कार्य करता है, आईपीईईसी की संचार पहुंच और क्रियाकलापों का समन्वयक है। इसके प्रशासनिक कार्यों में सूचना समिति व कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन, सदस्यों के अनुरोधों की संवीक्षा और उन्हें अग्रेषित करना एवं आईपीईईसी सूचनाओं (स्थिति, क्रियाकलाप) का समन्वय करना शामिल है। आईपीईईसी के तकनीकी कार्यगत कार्यक्रमों में कई क्षेत्र आते हैं।

सदस्य देश निष्ठावान कार्य समूहों का नेतृत्त्व करते हैं और उसमें भागीदारी करते हैं, जो आईपीईईसी के तकनीकी कार्यगत कार्यक्रमों का डिजाइन बनाते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं। सचिवालय दो अतिरिक्त प्रयासों का नेतृत्व करता है। कार्य समूह को प्रत्यक्ष रूप से उसके भागीदार सदस्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ii) क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (सीईएम)

- क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (सीईएम) सीखे गए पाठों और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अन्तरण को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। इनके प्रयास भागीदार सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच सामान्य हितों के क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। दिसम्बर, 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सचिव ने विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी सदस्य देशों से मंत्रियों को इस मंच पर लाने के लिए पहली क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की मेजबानी करने की घोषणा की थी।
- इस समय क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के 23 सदस्य और यूरोपियन कमीशन है। ये देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नार्वे, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लैंड और अमरीका हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के सदस्य (2016 के अनुसार) वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का लगभग 90% का और विश्व की ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन का 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल केवल ऊर्जा मिनिस्टर्स की नियमित बैठक है, जो एकमात्र रूप से स्वच्छ ऊर्जा पर बल देती है।
- इस सम्बन्ध में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के एपलायंसिस (एसईएडी) एज़ दि लीड कन्ट्री, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स एंण्ड एनर्जी मेनेजमेंट वर्किंग ग्रुप (ईएमडब्ल्युजी) और निर्धारित समय सीमा के अन्दर लक्ष्य प्राप्त करने के शासनादेश से सीईएम कैम्पेन जैसे ईवी/30/30 कैम्पेन सहित एडवांस्ड कूलिंग चैलेंज एण्ड ग्लोबल लाइटिंग चैलेंज (जीएलसी) एज़ दि लीड कन्ट्री जैसे प्रयासों में दीर्घकालीन दूरदृष्टि सहित भागीदारी करने का शासनादेश दिया गया है।

3

ब्यूरो का लेखा

3.1 पूंजीगत संरचना

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार और सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

3.4 लेखा का वार्षिक विवरण

3.1 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

वं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को शामिल

3.1 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

वं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को शामिल

3.1 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

वं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को शामिल

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपए में)

समग्र निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	5,12,68,65,317	4,60,82,99,394
रिजर्व और अधिशेष	2	9,150	1,07,573
निर्धारित/स्थायी निधियां	3	73,98,93,303	78,48,96,840
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं व प्रावधान	7	11,33,51,311	18,54,29,107
जोड़		**5,98,01,19,081**	**5,57,87,32,914**
परिसम्पतिया			
अचल परिसम्पतियां	8	1,44,56,266	1,51,49,655
निवेश–निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	4,33,91,81,311	3,86,41,74,065
निवेश अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पतियां, ऋण व अग्रिम आदि	11	1,62,64,81,504	1,69,94,09,194
विविध व्यय (बटटे् खाते या समायोजित न की गई सीमा तक)			
जोड़		**5,98,01,19,081**	**5,57,87,32,914**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 16 मई, 2018
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**पंकज कुमार**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रूपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/उप–सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	4,04,51,189	4,32,63,862
निवेशों से आय (निधियों में निर्धारित/स्थायी निधियों में निवेश पर आय	15	5,14,57,458	5,41,01,596
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (निवल)	17	4,40,47,361	5,30,19,861
अन्य आय	18	4,17,263	5,12,595
तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19	-	-
जोड़ (क)		**13,63,73,271**	**15,08,97,914**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	5,75,79,975	4,76,98,256
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,14,61,986	1,55,17,391
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	1,87,01,420	1,72,21,646
अनुदान/उप–सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	15,92,586	16,82,928
अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर हानि	8	305,233	-
जोड़ (ख)		**9,96,41,200**	**8,21,20,221**
व्यय से अधिक आय होने पर बकाया (क–ख)		3,67,32,071	6,87,77,693
विशेष रिजर्व में अन्तरण		-	-
सामान्य रिजर्व में/से अन्तरण		-	-
अधिशेष राशि के रूप में शेष राशि को समग निधि में लाया गया		3,67,32,071	6,87,77,693
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 16 मई, 2018
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**पंकज कुमार**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	(राशि रूपए में) पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	(राशि रूपए में) पिछला वर्ष
I. आरम्भ शेष				**I. व्यय**			
क) हाथ में नकदी	-		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20)	5,65,85,058.00		4,74,72,723.00
ख) बैंक बकाया (अनुसूची–11)				ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21)	2,07,09,009.00	7,72,94,067.00	1,48,92,138.00
i. बचत खाता – बीईई	14,50,11,800.00		8,60,93,143.00				
ii. जमा खाते	61,60,66,041.00		55,69,02,031.00				
iii. बचत खाते – योजना स्कीम	75,88,30,620.00		68,09,03,165.00	II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों में			
iv. बचत खाता – यूनिडो डॉलर खाता	4,71,20,328.00		4,82,86,312.00	से किए गए भुगतान (अनुसूची 21)		91,51,70,358.00	96,74,78,189.00
v. बचत खाता – (यूएनडीपी)	2,64,483.00	1,56,72,93,272.00	4,85,219.00				
II. प्राप्त अनुदान (अनुसूची–3)				**III. किए गए निवेश और जमा राशि**			
क) भारत सरकार से (12वीं योजना)				ii) बचत खाता–(पीआरजीएफईई)(अनुसूची–9)	5,15,62,875.00		6,50,59,654.00
बीईई				iii) बचत खाता–(वीसीएफईई)(अनुसूची–9)	2,15,34,356.00		2,60,67,649.00
I. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	-		25,96,00,000.00	iv) बचत खाता–मानक और लेबलिंग शूल्क (अनुसूची–9)	40,19,10,015.00	47,50,07,246.00	33,46,34,111.00
ii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-		6,00,00,000.00				
iii. डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	-		22,19,00,000.00				
ईएपी				**IV. अचल परिसम्पतियों और**			
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	-		59,00,000.00	**किए जा रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय**			
ईसी				अचल परिसम्पतियों की खरीद (अनुसूची–8)		27,86,890.00	1,64,871.00
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	-	-	23,68,50,000.00				
ख) भारत सरकार से				**V. अधिशेष राशि/ऋणों की वापसी**			
(योजना 2017–20 जारी)							
बीईई				एमओपी/जीओआई को वापस किए गए		5,64,73,787.00	3,16,48,276.00
i. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	23,00,00,000.00		-	अधिशेष/अनुदानों पर ब्याज (अनुसूची–3 व 7)			
ii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	4,00,00,000.00						
ईसी				**VI. अन्य भुगतान**			
I. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	36,98,50,000.00	63,98,50,000.00	-	i. पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	15,518.00		5,00,813.00
अन्य (अनुसूची–3)				ii. वीसीएफईई (अनुसूची–1)	2,700.00		4,56,405.00
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	15,00,00,000.00		15,00,00,000.00	iii. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) (अनुसूची–1)	13,62,39,631.00		12,22,86,399.00
ii. यूएनडीपी	-	15,00,00,000.00	8,15,00,000.00	iii. निवेश खाते में वापसी	1,37,60,369.00	15,00,18,218.00	2,77,13,601.00
				(एस एण्ड एल कार्यक्रम) (अनुसूची–3)			
III. निवेशों पर आय और अन्य प्राप्तियां				अग्रिम (अनुसूची–11)			
a) i. उद्दिदष्ट निधियां (निकाय–बीईई) (अनुसूची–15)	4,24,00,000.00		4,24,00,000.00	गब्बर सिंह	3,300.00		-
ii. उद्दिदष्ट निधियां (निकाय–एनएमईईई) (अनुसूची–15)	1,04,12,389.00		1,24,90,553.00	एस.के. खंदारे	2,500.00	5,800.00	-
iii. पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	5,15,78,393.00		6,55,55,467.00				
iv. वीसीएफईई (अनुसूची–1)	2,15,37,056.00		2,65,24,054.00	अन्य प्राप्तियां (अनुसूची–11)			
v. ई–प्रमाणपत्र शुल्क (अनुसूची–1)	58,57,143.00	13,17,84,981.00	-	अजय त्रिपाठी	-		58,612.00
ख) उद्दिदष्ट निधियां				अशोक कुमार	-		55,477.00
12वीं योजना (अनुसूची–3)				एस.के. खंदारे		-	41,281.00
बीईई				विशाल मेहता	-	-	9,988.00
i. ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी)	8,06,002.00		17,41,445.00				
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़करण	1,76,254.00		56,90,905.00	अन्य अग्रिम (अनुसूची–11)			
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-		8,40,189.00	ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.	1,33,174.00		-
iv. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एचआरडी)	10,93,786.00		11,83,721.00	द ताज महल होटल	13,00,000.00		-
v. लघू व मध्यम उद्यम (एमएमई)	15,22,076.00		26,04,072.00	मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	86,218.00	15,19,392.00	-
vi. कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजी डीएसएम)	11,06,438.00		5,23,237.00				
vii. नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	1,98,405.00		3,72,387.00				
viii. डस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	99,97,657.00	1,49,00,618.00	96,78,731.00				
आगे ले जाया गया		**2,50,38,28,871.00**	**2,55,80,24,631.00**	**आगे ले जाया गया**		**1,67,82,75,758.00**	**1,63,85,40,187.00**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां पिछला जोड़	विवरण	चालू वर्ष 2,50,38,28,871.00	पिछला वर्ष 2,55,80,24,631.00	भुगतान पिछला जोड़	विवरण	चालू वर्ष 1,67,82,75,758.00	पिछला वर्ष 1,63,85,40,187.00
ईएपी				अन्य भुगतान			
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्युबी–एमएसएमई परियोजना	3,79,593.00		8,59,835.00	अप्रदत्त चैक (अनुसूची–7)			
ईसी				पार्थ बैनर्जी			13,429.00
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	36,06,922.00		1,30,15,353.00	संदीप अलिपुरिया	4,170.00		-
ii. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	1,13,70,421.00		1,71,25,551.00	श्रेश्ठ सेन गुप्ता	10,000.00		-
iii. बचत लैंप योजना (बीएलवाई)	6,00,918.00		7,27,317.00	श्रेया मिश्रा	10,000.00	24,170.00	-
iv. अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	14,90,199.00	1,74,48,053.00	18,09,233.00				
अन्य				अन्य चालू देयताएं (कर्मचारियों को देय) (अनुसूची–7)			
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	-		34,55,286.00	अजय माथुर	5,92,500.00		-
ii. यूएनडीपी	5,363.00		13,33,505.00	संजय सेठ	8,16,328.00	14,08,828.00	
iii. यूनीडो	-	5,363.00	-				
योजना 2017–20 जारी (अनुसूची–3)							
बीईई							
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	11,41,995.00						
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	3,47,087.00						
ईसी	62,23,109.00	77,12,191.00					
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता							
				अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)			
IV. प्राप्त ब्याज				यूएनडीपी देय		58,91,156.00	-
क) बैंक निक्षेपों पर (अनुसूची – 11 व 17)	4,87,76,856.00		5,35,29,105.00				
ख) बैंक निक्षेपों पर (मानक और लेबलिंग) (अनुसूची – 1 व 11)	13,18,76,062.00		12,10,45,777.00				
ग) बचत खाता (अनुसूची–17)	3,15,538.00		4,22,529.00				
घ) अन्य (अनुसूची–17)	-	18,09,68,456.00	2,11,055.00				
				प्रतिभूति निक्षेप (परिसम्पतियां) (अनुसूची–11)			
				बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी लि. (ट्रेवल एजेंट)	2,00,000.00		
				इण्डिया हेबिटेट सेन्टर (सदस्यता प्रतिभूति निक्षेप)	1,50,000.00		
V. अन्य आय				प्रतिभूति निक्षेप (रिलायंस जियो – 6 डोंगल)	6,000.00	3,56,000.00	-
विविध आय (प्रोसेसिंग शुल्क व आरटीआई शुल्क) (अनुसूची–18)	4,10,773.00		5,12,595.00				
ईसीबसी पुस्तकों की बिक्री (अनुसूची–3द्ध	-		23,450.00				
परीक्षा निधि 2016/2017वीं परीक्षा (अनुसूची–3	-		4,32,41,862.00				
परीक्षा निधि 2017/2018वीं परीक्षा (अनुसूची–3	4,04,34,189.00		-	अन्य प्राप्तियां (परिसम्पतियां) (अनुसूची–11)			
ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शूल्क (अनुसूची–14)	17,000.00	4,08,61,962.00	22,000.00	मानक व लेबलिंग		96,720.00	-
VI. अन्य कोई प्राप्तियां				प्रतिभूति निक्षेप एवं कार्यनिष्पादन प्रतिभूति (अनुसूची–7)			
भवन लेबलिंग शुल्क–ईसीबीसी (अनुसूची–1)	9,00,000.00		4,00,000.00	के.पी. पेस्ट कन्ट्रोल	1,000.00		-
बोली प्रोसेसिंग शुल्क–पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	-		5,000.00	प्राइजवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	2,71,000.00		-
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि. (एसएण्डएल) (अनुसूची–3 व 11)	-		3,00,00,000.00	रेनबो ग्राफिक्स	2,000.00		-
डाकपाल (डाक टिकटें) (अनुसूची–11)	1,967.00		2,244.00	मानक व लेबलिंग	10,25,000.00	12,99,000.00	
जांच परीक्षण उपस्कर (अनुसूची–III)	-		2,72,711.00				
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	74,604.00		24,413.00				
मानक और लेबलिंग (पंजीकृत/लेबलिंग शुल्क)	40,63,70,304.00		33,58,74,733.00				
यूएनआईडीओ दर अंतर	65,587.00						
यूएनडीपी	-	40,74,12,462.00	71,18,673.00				
				बयाना राशि वापसी (अनुसूची–7)			
एसडीए/एजेंसियों से अनुप्रयुक्त राशियों की वापसी		1,58,05,638.00	41,10,000.00	छटी पी. मार्किटिंग	50,000.00		-
				एडवेज	50,000.00		-
				एपिटको	2,50,000.00		-
व्यपगत होने के कारण पुरांकित चैक				कूल पाइंट एयरकंडिशनर्स	-		14,200.00
अप्रदत्त चेक (अनुसूची–7			1,83,922.00	क्रॉम्प्टन ग्रीव्स	2,00,000.00		-
डीएवीपी	55,960.00			करंट प्रिन्ट प्रॉडक्शन्स प्रा. लि.	-		50,000.00
के.के भाटिया	180.00			एनफारजी सोल्यूशन्स	-		25,300.00
प्रभाष कुमार	3,000.00			अर्नस्ट एण्ड यंग	1,00,000.00		-
सची कोल्हातकर	10,000.00	69,140.00		फिक्की	1,00,000.00		-
				आईसीएफ परामर्श	1,00,000.00		-
अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)				जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स	1,00,000.00		-
कर्मचारियों को देय				कत्यानी एनर्जी सॉल्यूशन्स	-		27,480.00
अजय माथुर	-		11,13,900.00	लॉयड इन्सुलेशन	50,000.00		-
संजय सेठ	-	-	8,16,328.00	लुकास टीवीएस	2,00,000.00		-
				माइक्रो इन्स्ट्रुमेंट	2,00,000.00		-
प्रतिभूति निक्षेप एवं कार्यनिश्पादन प्रतिभूति (अनुसूची–7)				ऑरिएन्ट इलैक्ट्रिक	2,00,000.00		-
पर्यावरण डिजाइन सोल्यूशन्स प्रा. लि.	3,50,000.00			प्रनत इंजीनियर्स प्रा. लि.	-		50,000.00
आईसीएफ कन्सल्टिंग इण्डिया प्रा. लि.	12,27,740.00			प्राइसवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	2,00,000.00		-
के.पी. पेस्ट	13,000.00			सारा प्रिंटिंग एण्ड एडवरटाइजिंग	-		50,000.00
के.के. घई	1,20,000.00			सोनेक्स प्रिन्ट पैक प्रा. लि.	50,000.00		-
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	1,80,000.00			ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी)	1,50,000.00		-
सार्क एण्ड एसोसिएट्स	75,600.00			टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया	5,50,000.00		-
शिरोमणि त्यागी एण्ड कम्पनी	84,000.00			उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज	2,00,000.00		-
विनोद सिंघल एण्ड कम्पनी	1,92,000.00	22,42,340.00	-	वर्सा ड्राइव्स	2,00,000.00		-
				यश इन्टरनेशनल	2,00,000.00	31,50,000.00	-
आगे ले जाया गया		3,17,63,54,476.00	3,19,52,81,008.00	आगे ले जाया गया		1,69,05,01,632.00	1,63,87,70,596.00

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पिछला जोड़		**3,17,63,54,476.00**	**3,19,52,81,008.00**
बयाना राशि जमा (अनुसूची–7)			
6ठी पी. मार्किटिंग	-		50,000.00
एक्टिव एनर्जी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000.00		-
एडवेज	-		50,000.00
बायोकॉन कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000.00		-
चन्द्रा इंजीनियर्स	-		24,860.00
साईयूचर इण्डिया प्रा. लि.	7,50,000.00		-
अर्नस्ट एण्ड यंग	1,50,000.00		1,00,000.00
फिक्की -			1,00,000.00
आईसीएफ कन्सल्टिंग	2,40,000.00		1,00,000.00
आईएसपीई–एम पावर एनर्जी	2,40,000.00		-
जे.के. ग्राफिक्स	-		1,00,000.00
लॉयड इन्सुलेशन	-		50,000.00
मां भारती वाटेक प्रा. लि.	-		2,000.00
एमसीजे एनर्जी इंजीनियर्स	1,00,000.00		-
न्यु फ्रिक इंडिया	-		3,000.00
निन एनर्जी इण्डिया प्रा. लि.	1,00,000.00		-
प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्युसी)	-		2,50,000.00
रेनबो ग्राफिक्स	5,000.00		-
साई कम्युनिकेशन	16,360.00		3,000.00
सोनेक्स प्रिन्ट पैक प्रा. लि.	-		50,000.00
स्पेस 4 बिजनस सोल्यूशन्स	50,000.00		-
एस.एस. ट्रैडर्स	-		2,000.00
दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट	2,40,000.00		1,50,000.00
टीयूवी एसयूडी साऊथ एशिया	-		5,50,000.00
जैनिथ एनर्जी सर्विसिस प्रा. लि.	1,00,000.00	21,91,360.00	-
प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)			
आयूष टुर एण्ड ट्रेवल्स	-		2,00,000.00
प्राइस वाटरहऊस कूपर्स (पीडब्ल्युसी)	-	-	5,47,000.00
प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)			
मानक व लेबलिंग (एसएण्डएल) (अनुसूची–7)		1,06,75,000.00	84,50,000.00
स्टाफ एडवांस (एसेट्स) (अनुसूची–11)			
ए. फ्रेटास		3,000.00	-
प्रतिभूति निक्षेप (परिसम्पतियां) (अनुसूची–11)			
सिक्यूरिटी डिपॉजिट (हच–सतीश सबरवाल)	250.00		-
सिक्यूरिटी डिपॉजिट (पट्टाकृत किराया – गोपेन्द्र सिंह – मिलिंद बी. देवरे)	50,000.00		-
सिक्यूरिटी डिपॉजिट (पट्टाकृत किराया – अर्जुन छतवानी – विनीता कंवल)	30,000.00	80,250.00	-
अन्य प्राप्तियां (परिसम्पतियां) (अनुसूची–11)			
अजय त्रिपाठी	58,612.00		-
अरविन्द कुमार रे	-		200.00
अशोक कुमार	55,477.00		
भोपाल सिंह	-		200.00
हरीश चन्द	-		200.00
मदन मोहन	-		200.00
एस.के. खंडारे	41,281.00		-
विशाल मेहता	9,988.00		-
विवेक	-	1,65,358.00	200.00
जोड़		**3,18,94,69,444.00**	**3,20,60,63,868.00**

(राशि रूपए में)

भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पिछला जोड़		**1,69,05,01,632.00**	**1,63,87,70,596.00**
VII. अन्त शेष (अनुसूची–11)			
क) हाथ में नकदी			
ख) बैंक शेष			
i) बचत खाते – बीईई	12,90,38,129.00		14,50,11,800.00
ii) निक्षेप खाते	67,00,98,904.00		61,60,66,041.00
iii) बचत खाते – योजना स्कीम	65,26,44,371.00		75,88,30,620.00
iv) बचत खाता – यूनीडो डालर खाता	4,71,85,915.00		47,120,328.00
v) बचत खाता – (यूएनडीपी)	493.00	1,49,89,67,812.00	2,64,483.00
जोड़		**3,18,94,69,444.00**	**3,20,60,63,868.00**

दिनांक: 16 मई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

के.के. नायर
वित्त एवं लेखा अधिकारी

पंकज कुमार
सचिव

अभय बाकरे
महा निदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 1 और 2
(राशि रूपए में)

अनूसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	चालू वर्ष			पिछला वर्ष
1. निकाय निधि				
वर्ष के आरम्भ में बकाया बीईई	50,00,00,000		50,00,00,000	
निकाय निधि में अंशदान (निकाय निधि में वृद्धि)	15,00,00,000	65,00,00,000	15,00,00,000	65,00,00,000
2. मानक एवं लेबलिंग शुल्क (एस एण्ड एल)				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	1,87,47,46,701		1,53,21,96,419	
घटाएं: वर्ष के दौरान योजना में अन्तरित निधि	13,62,39,631		12,22,86,399	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	40,63,70,304		33,58,74,733	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	13,14,65,703	2,27,63,43,077	12,89,61,948	1,87,47,46,701
3. भवन और लेबलिंग शुल्क				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	18,00,000		14,00,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	9,00,000	27,00,000	4,00,000	18,00,000
4. पीआरजीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	1,00,49,69,872		93,99,10,218	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	15,518		5,00,813	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		5000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	5,15,78,393	1,05,65,32,747	6,55,55,467	1,00,49,69,872
5. वीसीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	42,08,65,581		39,47,97,932	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	2,700		4,56,405	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	2,15,37,056	44,23,99,937	2,65,24,054	42,08,65,581
6. ई–प्रमाणपत्र ट्रेडिंग शुल्क				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	94,93,460		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय (पंजीकरण शुल्क की छूट)	28,27,500		-	
घटाएं: ई–प्रमाणपत्र प्रभारों पर स्रोत पर कर कटौती	4,25,715	62,40,245	-	-
7. व्यय की तुलना में अधिक आय का आरम्भ शेष	65,59,17,240		58,71,39,547	
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अन्तरित निवल आय का शेष	3,67,32,071	69,26,49,311	6,87,77,693	65,59,17,240
वर्ष के अन्त में बकाया		**5,12,68,65,317**		**4,60,82,99,394**

अनुसूची 2 – रिजर्व व अधिशेष:	चालू वर्ष			पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूंजी {वस्तु के रूप में अनुदान (यूएसआईडी)}–बीईई				
पिछले खाते के अनुसार	1,07,573		1,09,473	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-			
घटाएं: वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की बिक्री पर व्यय/हानि	96,808			
घटाएं: अनुदान के अधीन परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास	1,615	9,150	1,900	1,07,573
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
जोड़		**9,150**		**1,07,573**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

अनुसूची 3
(राशि रूपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (सरकार अनुदान)	उपकरणों, भवनों और ऊर्जा दक्षता अनुसंधान केन्द्र के लिए मानक, संहिताएं और लेबलिंग				ऊर्जा उक्षता के लिए राज्य अभिहित अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण						मांग पक्ष प्रबंधन (कृषि, नगरपालिका और एसएमई)								बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी एमएसएमई परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)		ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता स्कीम		राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)							
	मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल)		ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और मौजूदा भवन (ईसीबीसी)		एसडीए सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एसडीए)		राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान		एचआरडी कार्यक्रम		अभिहित उपभोक्ता और एसएमई		कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी.डीएसएम)		नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू.डीएसएम)		डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण						राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)		बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)		अतिदक्षता उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. नकद में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	-	-	26721440	29083718	17765909	4763290	-	-	18785000	18785000	33184079	43748435	7884955	8746753	4620256	6885354	197706913	31825451	13232068	19067290	86479115	66151243	241640806	281835754	11542122	11542122	28622949	28820479	688185612	551254889
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	230000000	259600000	40000000	60000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221900000	-	5900000	369850000	236850000	-	-	-	-	-	-	639850000	784250000
ii. निधियों के किए गए निवेशों पर आय	-	-	806002	1741445	1318249	5690905	347087	840189	990351	1183721	1522076	2604072	498417	523237	198405	372387	9997657	9678731	379593	859835	9695139	13015353	11370421	17125551	600918	727317	1490199	1809233	39214514	56171976
iii. परिसम्पत्तियों/अन्यों की बिक्री से आय	4000	272711	-	23450	2000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	296161
iv. अन्य परिवर्धन/अपसेन्ट ग्रांट पर ब्याज की वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-	103435	-	-	-	608021	-	-	-	-	-	-	-	134892	-	-	24413	-	-	-	-	846348	24413
v. अन्य वृद्धि/उपयोग न किए गए अनुदान की वापसी		-	-	-	4837319	2000000	-	-	2663372	-	-	-	6105000	-	417107	-	-	-	-	-	1782840	2110000	-	-	-	-	-	-	15805638	4110000
जोड़ (क+ख)	**4000**	**272711**	**27527442**	**30848613**	**253923477**	**272054195**	**40347087**	**60840189**	**22542158**	**19968721**	**34710155**	**46352507**	**15096393**	**9269990**	**5235768**	**7257741**	**207704570**	**263404182**	**13611661**	**25827125**	**467941986**	**318126596**	**253011227**	**298985718**	**12143040**	**12269439**	**30113148**	**30629712**	**1383912112**	**1396107439**
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय																														
– अचल परिसम्पतियां	-	-	-	-	120401	-	-	-	-	-	60200	-	-	-	60399	-	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	-	918625	-
– जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	120401	-	-	-	-	-	60200	-	-	-	60399	-	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	-	918625	-
ii. राजस्व व्यय																														
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	2230392	1285234	2057160	1069797	-	-	-	-	759517	2362700	-	-	1441727	1617390	264516	-	-	5820602	910122	816746	11158540	6993373	-	-	-	-	18821974	19965842
– अन्य प्रशासनिक/परियोजना व्यय	-	-	24491048	1071394	242633445	245527584	40000000	60000000	8404804	-	13958961	8201656	1472962	861798	416620	647708	18896619	56018538	9709687	5914620	307255942	217815382	44240571	33225988	-	-	-	197530	711480659	629482198
– विद्युत मंत्रालय को वापस किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– विद्युत मंत्रालय को वापस अदा की अनुप्रयुक्त राशि (ब्याज सहित)	-	272711	-	1741445	-	7690905	-	840189	-	1183721	-	2604072	-	523237	-	372387	-	9678731	-	859835	-	13015353	46483	17125551	-	727317	-	1809233	46483	58444687
– अन्य (ईसीबीसी मैनुअलों की बिक्री से आय–विद्युत मंत्रालय को वापसी)	-	-	-	29,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29100
– जोड़	-	272711	26721440	4127173	244690605	254288286	40000000	60840189	8404804	1183721	14718478	13168428	1472962	1385035	1858347	2637485	19161135	65697269	9709687	12595057	308166064	231647481	55445594	57344912	-	727317	-	2006763	730349116	707921827
जोड़ (ग)	**-**	**272711**	**26721440**	**4127173**	**244811006**	**254288286**	**40000000**	**60840189**	**8404804**	**1183721**	**14778678**	**13168428**	**1472962**	**1385035**	**1918746**	**2637485**	**19221335**	**65697269**	**9709687**	**12595057**	**308166064**	**231647481**	**56063019**	**57344912**	**-**	**727317**	**-**	**2006763**	**731267741**	**707921827**
आय व व्यय खातें में अन्तरित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क)	4000	-	806002	26721440	9112471	17765909	347087	-	14137354	18785000	19931477	33184079	13623431	7884955	3317022	4620256	188483235	197706913	3901974	13232068	159775922	86479115	196948208	241640806	12143040	11542122	30113148	28622949	652644371	688185612
ख) वस्तु के रूप में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	3738541	4391751	-	-	937	1230	-	-	-	-	419	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4081882	5982711	-	-	-	-	7821779	10376158
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य वृद्धियां/परिसम्पतियां	-	-	-	-	120401	-	-	-	-	-	60200	-	-	-	60399	-	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	-	918625	-
जोड़ (क+ख)	**3738541**	**4391751**	**-**	**-**	**121338**	**1230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60619**	**466**	**-**	**-**	**60399**	**-**	**60200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4699307**	**5982711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8740404**	**10376158**
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय																														
– अचल परिसम्पतियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अचल पसिम्पत्तियों की बिक्री/पर हानि	455	597479	-	-	741	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	1584	598179
जोड़	**455**	**597479**	**-**	**-**	**741**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1584**	**598179**
ii. राजस्व व्यय																														
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	35801	55731	-	-	36238	293	-	-	-	-	18079	47	-	-	18120	-	18060	-	-	-	-	-	1186648	1900129	-	-	-	-	1312946	1956200
जोड़	**35801**	**55731**	**-**	**-**	**36238**	**293**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18079**	**47**	**-**	**-**	**18120**	**-**	**18060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1186648**	**1900129**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1312946**	**1956200**
जोड़ (ग)	**36256**	**653210**	**-**	**-**	**36979**	**293**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18467**	**47**	**-**	**-**	**18120**	**-**	**18060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1186648**	**1900829**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1314530**	**2554379**
वर्ष के अन्त में निवल शेष (ख)	**3702285**	**3738541**	**-**	**-**	**84359**	**937**	**-**	**-**	**42152**	**419**	**-**	**-**	**42279**	**-**	**42140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3512659**	**4081882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7425874**	**7821779**
सकल जोड़ (क+ख)	**3706285**	**3738541**	**806002**	**26721440**	**9196830**	**17766846**	**347087**	**-**	**14137354**	**18785000**	**19973629**	**33184498**	**13623431**	**7884955**	**3359301**	**4620256**	**188525375**	**197706913**	**3901974**	**13232068**	**159775922**	**86479115**	**200460867**	**245722688**	**12143040**	**11542122**	**30113148**	**28622949**	**660070245**	**696007391**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 3

(राशि रूपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (अन्य)	वाणिज्यिक भवन के लिए यूएनडीपी–जीईएफ–बीईई परियोजना		यूएनडीपी–जीईएफ–बीईई परियोजना		मानक व लेबलिंग कार्यक्रम		जोड़	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. अनुदान								
क) निधियों का अथ शेष	2,03,522	4,85,219	8,69,16,814	9,55,37,003	-	-	8,71,20,336	9,60,22,222
ख) निधियों में वृद्धि								
I. दान/अनुदान	-	8,15,00,000	-	-	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	23,15,00,000
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	5,363	13,33,505	-	-	-	34,55,286	5,363	47,88,791
iii. अन्य वृद्धि/दर अंतर	-	-	65,587	-	-	-	65,587	-
जोड़ (क+ख)	**2,08,885**	**8,33,18,724**	**8,69,82,401**	**9,55,37,003**	**15,00,00,000**	**15,34,55,286**	**23,71,91,286**	**33,23,11,013**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- अचल परिसम्पतियो	-	-	-	-	1,80,601	-	1,80,601	-
- जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,80,601**	**-**	**1,80,601**	**-**
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	70,21,764	68,19,354	51,61,808	36,87,826	1,21,83,572	1,05,07,180
- अन्य प्रशासनिक और परियोजना व्यय	2,08,392	8,31,15,202	19,77,389	18,00,835	13,08,97,222	12,20,53,859	13,30,83,003	20,69,69,896
- वापस की गई राशि	-	-	-	-	1,37,60,369	2,77,13,601	1,37,60,369	2,77,13,601
जोड़	2,08,392	8,31,15,202	89,99,153	86,20,189	14,98,19,399	15,34,55,286	15,90,26,944	24,51,90,677
जोड़ (ग)	**2,08,392**	**8,31,15,202**	**89,99,153**	**86,20,189**	**15,00,00,000**	**15,34,55,286**	**15,92,07,545**	**24,51,90,677**
आय और व्यय खाते में अन्तरित–राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल अकाया (क)	493	2,03,522	7,79,83,248	8,69,16,814	-	-	7,79,83,741	8,71,20,336
ख. वस्तु के रूप में अनुदान								
क) निधियों का अथ शेष	-	-	93,695	2,34,237	16,75,418	16,75,418	17,69,113	19,09,655
ख) निधियों में वृद्धि								
I. दान/अनुदान (ब्याज आय से प्राप्त लेपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य वृद्धि/परिसम्पतियां/निधि अन्तरण	-	-	-	-	1,80,601	-	1,80,601	-
iv. जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (क+ख)	**-**	**-**	**93,695**	**2,34,237**	**18,56,019**	**16,75,418**	**19,49,714**	**19,09,655**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- अचल परिसम्पतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
- जांच परीक्षण उपकरण की बिक्री/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	-	-	56,217	1,40,542	54,180	-	1,10,397	1,40,542
जोड़	**-**	**-**	**56,217**	**1,40,542**	**54,180**	**-**	**1,10,397**	**1,40,542**
जोड़ (ग)	**-**	**-**	**56,217**	**1,40,542**	**54,180**	**-**	**1,10,397**	**1,40,542**
वर्ष के अन्त में निवल बकाया (ख)	**-**	**-**	**37,478**	**93,695**	**18,01,839**	**16,75,418**	**18,39,317**	**17,69,113**
सकल जोड़ (क+ख)	**493**	**2,03,522**	**7,80,20,726**	**8,70,10,509**	**18,01,839**	**16,75,418**	**7,98,23,058**	**8,88,89,449**
						अनुसूची–3	**66,00,70,245**	**69,60,07,391**
						अन्य	**7,98,23,058**	**8,88,89,449**
						जोड़	**73,98,93,303**	**78,48,96,840**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4
(राशि रूपए में)

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क) सावधि ऋण	-		-	
ख) प्रोदभूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	-		-	
- प्राप्त तथा देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण	-		-	
- प्राप्त तथा देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेसियां		-		-
6. डिबेंचर और बांड		-		-
7. अन्य		-		-
जोड़		-		-

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 5 और 6
(राशि रूपए में)

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण और देयता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पुंजीगत अपकरण और अन्य परिसम्पतियों को गिरवी रखकर सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
जोड़	-	-

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 7

(राशि रूपए में)

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
फुटकर ऋणदाता				
फुटकर ऋणदाता (अन्य)	19,64,602		2,06,53,243	
फुटकर ऋणदाता (विद्युत मंत्रालय)	-	19,64,602	5,64,82,243	7,71,35,486
धरोहर जमा राशि		42,31,005		51,89,645
प्रतिभूति राशि		62,87,494		33,69,154
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग)				
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (एयरकंडिशनिंग)	98,25,000		88,75,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (लाइटिंग)	27,50,000		27,50,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (रेफरिजरेशरन)	63,50,000		54,50,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (ट्रांसफार्मर्स)	2,14,00,500		2,03,25,500	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (ब्लास्ट)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (छत के पंखे)	76,00,000		66,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (कम्प्यूटर)	12,50,000		11,75,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (सीटीवी)	59,25,000		40,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (डीजी सैट)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (गैस स्टोव)	16,05,000		12,80,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (गीजर)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (इन्वर्टर)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (एलईडी लैम्प)	16,75,000		9,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (एलपीजी गैस)	4,75,000		5,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (मोटर्स)	12,00,000		12,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (कार्यालय स्वचालन उत्पाद)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (पम्प)	1,40,25,000		1,40,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (मोनोसेट पम्प)	2,25,000		-	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (ओपन वॉल समरसीबल पम्प सेट)	3,25,000		-	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (समरसीबल पम्प सेट)	7,75,000		-	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (वाशिंग मशीन)	3,00,000		3,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (वाटर हीटर)	1,69,25,000	9,33,80,500	1,55,50,000	8,37,30,500
शुल्क एवं कर		21,38,708		44,70,549
अन्य चालू देयताएँ		40,09,614		1,15,33,773
जोड़ (क)		**11,20,11,923**		**18,54,29,107**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेचुअटी		-		-
3. सेवानिवृति/पेंशन/(अवकाश वेतन/प्रतिनियुक्ति पदधारकों के लिए पेशन अंशदान				
वेतन और लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय	7,95,286		-	
लेखा अधिकारी (नकद) टीईसी	5,44,102	13,39,388	-	-
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-	-	
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-	-	
जोड़ (ख)		**13,39,388**		**-**
जोड़ (क+ख)		**11,33,51,311**		**18,54,29,107**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची–8

(राशि रूपए में)

क्र.	अनुसूची 8	मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					निवल ब्लॉक	
सं.	अचल परिसम्पत्तियों के विवरण	की दर	01.04.17 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री	समा योजन	31.03.18 को	01.04.17 को	वर्ष के दौरान	बिक्री	समा योजन	31.03.18 को	31.03.18 को	31.03.17 को
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो														
(ए)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	फर्नीचर व फिक्सचर	10%	1,50,66,620	25,728	1,44,862	-	1,49,47,486	80,29,723	7,00,327	-	85,506	86,44,544	63,02,942	70,36,897
4	कार्यालय उपस्कर	15%	1,01,80,324	2,67,050	3,56,620	-	100,90,754	72,33,158	4,50,093	-	2,40,798	74,42,453	26,48,301	29,47,166
5	वाहन	15%	21,24,591	6,82,833	-	-	28,07,424	19,16,137	72,985	-	-	19,89,122	8,18,302	2,08,454
6	कम्प्युटर	60%	2,53,12,900	6,53,657	32,55,315	-	2,27,11,242	2,48,49,058	3,39,461	-	30,67,400	2,21,21,119	5,90,123	4,63,842
(बी)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	कम्प्युटर – सॉफ्टवेयर	60%	2,97,12,881	57,400	8,92,744	-	2,88,77,537	2,96,91,799	29,720	-	8,92,490	2,88,29,029	48,508	21,082
	जोड़		**8,23,97,316**	**16,86,668**	**46,49,541**	**-**	**7,94,34,443**	**7,17,19,875**	**15,92,586**	**-**	**42,86,194**	**6,90,26,267**	**1,04,08,176**	**1,06,77,441**
वस्तु के रूप में अनुदान के अधीन परियम्पत्तियां														
(ए)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3	फर्नीचर व फिक्सचर	10%	5,00,845	-	-	-	5,00,845	82,846	41,800	-	-	1,24,646	3,76,199	4,17,999
4	कार्यालय उपस्कर	15%	86,71,493	-	4,41,353	-	82,30,140	56,72,517	4,35,323	-	3,44,550	57,63,290	24,66,850	29,98,976
5	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कम्प्युटर	60%	95,97,626	9,43,426	10,84,733	-	94,56,319	88,28,399	7,29,488	-	10,83,144	84,74,743	9,81,576	7,69,227
(बी)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	कम्प्युटर – सॉफ्टवेयर	60%	1,00,82,644	1,55,800	-	-	1,02,38,444	97,96,632	2,18,347	-	-	1,00,14,979	2,23,465	2,86,012
	जोड़		**2,88,52,608**	**10,99,226**	**15,26,086**	**-**	**2,84,25,748**	**2,43,80,394**	**14,24,958**	**-**	**14,27,694**	**2,43,77,658**	**40,48,090**	**44,72,214**
	सकल जोड़		**11,12,49,924**	**27,85,894**	**61,75,627**	**-**	**10,78,60,191**	**9,61,00,269**	**30,17,544**	**-**	**57,13,888**	**9,34,03,925**	**1,44,56,266**	**1,51,49,655**
	पिछला वर्ष		**11,11,81,708**	**3,90,736**	**97,651**	**2,24,869**	**11,12,49,924**	**9,24,15,650**	**37,81,570**	**96,951**	**-**	**9,61,00,269**	**1,51,49,655**	**1,87,66,058**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 9 और 10
(राशि रूपए में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभुतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. निकाय निधि			
i. एनटीपीसी के बांड (20 वर्ष)	50,00,00,000		50,00,00,000
ii. विजया बैंक–एफडीआर (निकाय निधि में संवर्धन)	15,00,00,000	65,00,00,000	15,00,00,000
5. सब्सिडियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य			
विजया बैंक – पीआरजीएफईई	1,05,65,32,747		1,00,49,69,872
विजया बैंक – वीसीएफईई	44,23,99,937		42,08,65,581
विजया बैंक – मानक व लेबलिंग शुल्क	2,19,02,48,627		1,78,83,38,612
विजया बैंक – हाथ में चेक -	3,68,91,81,311	-	
जोड़		**4,33,91,81,311**	**3,86,41,74,065**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और ब्रांड	-	-	
5. सब्सिडियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य		-	-
जोड़	**-**	**-**	

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11
(राशि रूपए में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसम्पत्तिया				
I. हाथ में नकदी		-		-
II. बैंक खाते				
a) अनुसूचित बैंकों में				
. चालू खातों में				
बीईई (यूनीडो यूएसडी खाता–विजया बैंक, दिल्ली)	4,71,85,915		4,71,20,328	
. अनुसूचित बैंकों में एफडीआर (विजया बैंक)	67,00,98,904		61,60,66,041	
. बचत खातों में				
बीईई (विजया बैंक बचत व सवीप खाता – बीईई)	12,88,62,637		14,47,13,298	
बीईई (विजया बैंक बचत व सवीप खाता – योजना स्कीम)	65,26,44,371		75,88,30,620	
बीईई (विजया बैंक बचत – जांच)	2,014		-	
बीईई (आईओबी, चैन्नई)	51,982		50,000	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	1,21,496		2,48,502	
बीईई (यूएनडीपी परियोजना – विजया बैंक, दिल्ली)	493	1,49,89,67,812	2,64,483	1,56,72,93,272
III. हाथ में डाक टिकटें		21,722		24,355
IV. जाँच परीक्षण उपकरण (मानक लेबलिंग परियोजना)		52,26,251		52,26,251
जोड़ (11क)		1,50,42,15,785		1,57,25,43,878

(राशि रूपए में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तिया				
I. अन्य अग्रिम				
ओल्ड वर्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.	1,33,174		-	
दि ताज महल होटल	13,00,000		-	
मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	86,218	15,19,392	-	-
II. स्टॉफ अग्रिम				
वरिष्ठ डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	-		3,000	
फ्रेटस				
गब्बर सिंह	3,300		-	
एस.के. खंडेरे	2,500	5,800	-	3,000
III. अन्य निक्षेप (प्रतिभूति निक्षेप)				
बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी लि. (ट्रेवल एजेंट)	2,00,000		-	
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस– मेम्बरशिप सिक्युरिटी डिपोजिट)	10,000		10,000	
ईंडिया हेबिटेट सेंटर (मेम्बरशिप सिक्युरिटी डिपोजिट)	1,50,000		-	
पैट्रोल पम्प में जमा (लक्ष्मी सुपर सर्विसिस)	10,000		10,000	
प्रतिभूति जमा (हच – सतीश सबरवाल)	-		250	
प्रतिभूति जमा (पट्टा किराया–बंदना राय–एस के खंदारे)	52,000		52,000	
प्रतिभूति जमा (पट्टा किराया–गोपेन्द्र सिंह–मिलिंद बी देवरे)	-		50,000	
प्रतिभूति जमा (पट्टा किराया–अर्जुन छटवानी–विनीता कनवाल)	-		30,000	
प्रतिभूति जमा (रिलायंस जियो – 6 डोंगल)	6,000		-	
सेवा कर प्राधिकरण (अपील के प्रति जमा)	61,16,960	65,44,960	61,16,960	62,69,210
IV. प्रोदभूत आय				
निवेशों/सावधि जमा प्राप्तियों पर				
i. बीईई	2,34,47,604		2,84,92,637	
ii. एनएमईईई	41,31,582		54,86,513	
iii. एस एण्ड एल	8,59,97,730	11,35,76,916	8,64,08,089	12,03,87,239
V. अन्य प्राप्तियोग्य राशियां				
बीईईई				
अजय त्रिपाठी	-		58,612	
मिलिंद बी. देवरे	6,926		-	
अशोक कुमार	-		55,477	
पोसोको	3,83,102		-	
मुख्य डाकपाल	79		1,967	
एस.के. खंदारे	-		41,281	
विशाल मेहता	-	3,90,107	9.988	1,67,325
मानक व लेबलिंग (एस एण्ड एल)				
फ्यूचर रिटेल लि.	500		-	
जॉनसन इलैक्ट्रिकल एपलायंसिस	1,000		-	
ला गज्जर मशीनरीज प्रा. लि.	59,470		-	
नोवा एक्र सर्विसिज इण्डिया	11,040		-	
एनटीएल लेमनिस इण्डिया	2,000		-	
ओसवाल पम्प्स प्रा. लि.	2,000		-	
राजेश्वरी इंजीनियरिंग वर्क्स	18,200		-	
वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि.	2,000		-	
वेदर मेकर्स	510	96,720	-	-
VI. पूर्व प्रदत्त व्यय				
पूर्व प्रदत्त व्यय (कम्प्युटर)	1,02,505		11,102	
पूर्व प्रदत्त व्यय (अभिदान – स्वामी न्यूज)	495		-	
पूर्व प्रदत्त व्यय (रखरखाव – फ्रेकिंग मशीन)	16,172		15,716	
पूर्व प्रदत्त व्यय (स्टाफ कार बीमा)	12,652	1,31,824	11,724	38,542
जोड़ (11ख)		12,22,65,719		12,68,65,316
जोड़ (11क +11ख)		1,62,64,81,504		1,69,94,09,194

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 12 और 13
(राशि रूपए में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्रियों से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रोसेसिंग प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शकारी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन व दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति	-	-
ङ) अन्य	-	-
जोड़	**-**	**-**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 13 – अनुदान/उप–सहायता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त स्थिर अनुदान व उप–सहायता)		
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अन्तराष्ट्रीय संगठन	-	-
जोड़	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 14 और 15
(राशि रूपए में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा–2016/17वीं परीक्षा)	-	4,32,41,862
वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा–2017/18वीं परीक्षा)	4,04,34,189	-
3. ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शुल्क	17,000	22,000
जोड़	**4,04,51,189**	**4,32,63,862**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	निर्धारित निधियों में निवेश		निवेश–अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निवेशों पर आय–निधियों में अन्तरित निर्धारित/स्थायी निधियों से)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – निकाय निधि)	4,24,00,000	4,24,00,000	-	-
ग) एफडीआर (विजया बैंक – निकाय निधि)	90,57,458	1,17,01,596	-	-
2. लाभांश				
क) शयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचूअल निधि प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
जोड़	**5,14,57,458**	**5,41,01,596**	**-**	**-**
निर्धारित/स्थायी निधियों में अन्तरित	-	-		

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 16 और 17
(राशि रूपए में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से आय	-	-
ख) प्रकाशनों से आय	-	-
जोड़	-	-

(राशि रूपए में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर			
क) अनुसूचित बैंकों में			
ब्याज आय – विजया बैंक	4,37,31,823	4,37,31,823	5,23,86,277
ख) अन्य गैर–अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थानों में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों में			
क) अनुसूचित बैंकों में			
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चैन्नई	22,426		18,660
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	1,12,629		96,074
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली	1,80,469		3,07,795
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली (परीक्षण)	14	3,15,538	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खातों में		-	-
घ) अन्य		-	2,11,055
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी / स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर बयाज		-	-
5. ग्रेजुअटी निधि पर ब्याज		-	-
जोड़		4,40,47,361	5,30,19,861

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 18, 19 और 20
(राशि रूपए में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	6,490	-
2. विविध प्राप्तियां	4,10,773	5,12,595
3. अन्य (फुटकर बकायों का प्रतिलेखन)	-	-
जोड़	**4,17,263**	**5,12,595**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 19 – तैयार और तैयार किए जा रहे माल में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) इति शेष स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
ख) घटाएं: अथ शेष स्टाक	-	-
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
निवल वृद्धि/कमी (क–ख)	-	-

(राशि रूपए में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	आय व व्यय	प्राप्तियां व भुगतान	आय व व्यय	प्राप्तियां व भुगतान
क) वेतन और मजदूरी	4,44,97,718	4,52,38,699	3,83,94,985	3,81,29,022
ख) भत्ते और बोनसं	26,60,481	26,67,407	33,37,035	33,37,035
ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्रभार	58,49,726	54,91,632	50,46,236	50,47,060
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	4,53,252	-	28,191	39,512
ङ) अन्य (पेंशन अंशदान)	8,86,136	-	39,369	67,654
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (ग्रचुअटी)	10,455	10,455	16,037	16,037
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभा और व्यय (अवकाश नकदीकरण)	24,35,586	24,35,586	918	918
ज) कर्मचारी कल्याण निधि	7,86,621	7,41,279	8,35,485	8,35,485
जोड़	**5,75,79,975**	**5,65,85,058**	**4,76,98,256**	**4,74,72,723**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 21

(राशि रूपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
क) मरम्मत एवं रखरखाव	17,84,753	17,48,433	10,85,286	11,26,332
ख) वाहन संचालन और रखरखाव	19,23,155	18,51,003	8,12,078	5,55,756
ग) डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	10,09,443	10,00,972	8,97,694	9,11,893
घ) प्रिन्टिंग व लेखन सामग्री	21,64,646	15,63,004	14,01,374	13,94,813
ङ) यात्रा और वाहन व्यय	28,40,740	30,76,308	4,85,316	3,24,815
च) कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण पर व्यय	5,30,149	5,26,900	23,52,052	23,52,869
छ) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2,12,100	-	2,12,100	89,720
ज) विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	4,71,427	2,41,187	3,76,502	4,45,082
झ) विज्ञापन और प्रकाशन	5,93,186	5,93,186	8,29,868	8,29,868
ञ) आईपीईईसी को अंशदान	61,46,111	61,46,111	41,86,965	41,86,965
ट) आईएई को अंशदान	17,01,972	17,01,972	-	-
ठ) पूर्व अवधि व्यय	1,14,881	1,14,881	3,81,565	3,81,565
ड) कार्यालय रखरखाव	19,69,405	21,45,034	24,96,498	22,92,367
ढ) बैंक रखरखाव	18	18	93	93
जोड़ (क)	**2,14,61,986**	**2,07,09,009**	**1,55,17,391**	**1,48,92,138**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
परियोजना व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा	1,84,19,977	2,07,78,963	1,68,92,646	1,45,05,094
ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रत्यायन	2,81,443	2,55,154	3,29,000	3,03,500
	1,87,01,420	2,10,34,117	1,72,21,646	1,48,08,594
अनुदान परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)				
बीईई				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	2,67,21,440	-	23,56,628
राज्य अभिहित एजेंसियां (एसडीए)	-	24,47,20,735	-	24,65,67,251
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-	4,00,00,000	-	6,00,00,000
मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	-	84,04,804	-	-
कृषि व नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी एण्ड डीएसएम)	-	14,74,552	-	8,60,208
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	-	18,58,347	-	22,65,098
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	1,52,11,834	-	1,00,30,028
डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	-	1,82,16,555	-	15,60,18,538
ईसी				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	30,84,18,118	-	21,83,72,709
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन (एनएमईईई)	-	6,70,62,675	-	2,82,73,031
अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	-	-	2,03,030
ईएपी				
बीईई–जीईएफ–डब्ल्युबी–परियोजना	-	96,67,477	-	1,18,98,971
	-	74,17,56,537	-	73,68,45,492
परियोजना व्यय – (अन्य)				
यूएनडीपी परियोजना	-	2,14,411	-	8,30,04,116
यूनीडो परियोजना	-	92,75,536	-	1,32,54,282
मानक व लेबलिंग (एस एण्ड एल)	-	14,28,89,757	-	11,95,65,705
	-	15,23,79,704	-	21,58,24,103
जोड़ (ख)	**1,87,01,420**	**91,51,70,358**	**1,72,21,646**	**96,74,78,189**
जोड़ (क+ख)	**4,01,63,406**	**93,58,79,367**	**3,27,39,037**	**98,23,70,327**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2018 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 22 और 23
(राशि रूपए में)

अनुसूची 22 – अनुदानों/उप–सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई उप–सहायता	-	-
जोड़	**-**	**-**

(राशि रूपए में)

अनुसूची 23 ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधिक ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
जोड़	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरा
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियों

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) **लेखांकन परम्परा**

जक तक की अन्यथा उल्लेख न किया जाए, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखाकरण की प्रोद्भू पर तैयार किए जाते हैं।

2) **सामान की सूची**

सामान का मूल्यांकन लागत

3) **निवेश**

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) **अचल परिसंपत्तियां**

क. अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आगम भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

ख. गैर–मौद्रिक अनुदानों (निकाय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर पूंजीगत किया जाता है और तदनुरूप उसे आरक्षित पूंजी में क्रेडिट किया जाता है।

ग. जिस अनुदान को दर्शाने वाली अचल परिसंपत्तियों में से इतनी मूल्यह्रास राशि कम कर दी जाती है जो वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रदान की जाती है और अनुदान से सृजित आरक्षित पूंजी में से समान राशि कर दी जाती है।

5) **मूल्यह्रास**

क. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिगणन आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दर के अनुसार अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, मूल्यह्रास निम्नानुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है:

180 दिनों तक की अवधि के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियां = छह माह के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक अवधि के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियां = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. 5000/– रूपए अथवा इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

घ. अचल परिसंपत्तियों और वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अलग अलग किया गया है।

ङ अप्रयोज्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

6) **अनुदान एवं राजस्व के लिए लेखांकन**

मानक एवं लेबलिंग स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

7) **सरकारी एवं अन्य अनुदान/उप–सहायता**

क. परियोजनाओं को लगाने के लिए पूंजीगत लागत के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया है।

ख. अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त अनुदान को, ऐसी परिसंपत्तियों पर किए गए निवल मूल्यह्रास को घटाकर पूंजीगत रिजर्व के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों/उप–सहायता का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है और इन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया जाता है।

घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के मद्दे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए खर्च को निधियां प्राप्त होने के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8) **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

क. विदेशी मुद्रा लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को उपयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत लागत में समायोजित किया गया है।

9) **लीज**

लीज़ किरायों का खर्च लीज़ की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

10) **सेवानिवृत्ति लाभ**

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली हुई है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली हुई है।

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरा
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 25 – लेखाओं पर टिप्पणियां

1) **आकस्मिक देयताएं**

सेवा कर के संबंध में विवादित मांग का विवरण नीचे दिया गया है:

i. 2013 से 2014– 3,81,15,783/– रूपए (पिछले वर्ष – 3,81,15,783/– रूपए)

ii. 2014 से 2015– 2,95,70,890/– रूपए (पिछले वर्ष – 2,95,70,890/– रूपए)

iii. 2015 से 2016– 3,63,62,695/– रूपए (पिछले वर्ष – शून्य)

बीईई ने वित्तीय वर्ष 2008 से 2013 के लिए 8,15,59,473/– रुपए की मांग के मद्दे सीमा शुल्क उत्पाद व सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी)को अपील की है/जवाब दिया है। अपीलीय अधिकरण ने दिनांक 27/2/2018 को पारित अन्तिम आदेश संख्या 50937/2018 के द्वारा हमारे पक्ष में अपील को स्वीकार किया है और तद्नुसार, इस अवधि की मांग पर रोक लगा दी गई। अधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप, बीईई 61,16,960 रुपए की राशि वापस लेने के लिए विभाग से अनुरोध करने पर कार्य कर रहा है, जो आरम्भ में अपील दायर करते समय जमा कराई गई थी।

अधिकरण के उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर की मांग से बीईई को छूट देने के लिए विभाग को राजी करने का कार्य कर रहा है।

2) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य लेनदेन की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3) **कराधान**

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, के अंतर्गत आयकर से छूट में यह प्रावधान है – ''आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अथवा आय, लाभ और प्राप्तियों पर कर के संबंध में उस समय लागू अधिनियम में निर्दिष्ट किसी बात के बावजूद

(क) ब्यूरो;

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र को ब्यूरो के गठन की तारीख से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक, प्राप्त अपनी आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान नहीं करना होगा''। उपर्युक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कर–योग्य आय नहीं है और इसलिए आयकर हेतु कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

4) <u>विदेशी मुद्रा लेनदेन</u>

ब्यूरो ने आइपीईईसी को वार्षिक अंशदान तथा परियोजना के लिए विदेशी यात्रा व्यय के लिए कोई विदेशी यात्रा व्यय नहीं किया है।

ब्यूरो को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ''यूनीडो–जीईएफ–बीईई प्रोजेक्ट'' के अन्तर्गत अनुदान के रूप में 18,99,985 अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। इसमें से शेष 7,28,740 अमरीकी डालर को हमारे बैंकर अर्थात् विजया बैंक के एक अलग विदेशी मुद्रा बैंक खाते में रखा गया है। तुलन पत्र की अन्तिम तारीख को 7,28,740 अमरीकी डालर का मूल्य 4,71,85,915/– रुपए (पिछले वर्ष 4,71,20,328/– रुपए) है। 65,587/– रुपए के विनिमय दर उतार चढ़ाव को ''यूनीडो–जीईएफ–बीईई प्रोजेक्ट'' के अर्न्तगत अनुसूची–3 (चिन्हित निधियां – अन्य) में ''निधियों में परिवर्धन'' के अधीन ''अन्य परिवर्धन/दर अन्तराल'' में दर्शाया गया है।

5) <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

ब्यूरो में ग्रेच्युटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को अदा किए गए प्रीमियम के लिए 10,455/– रुपए और बीईई एवं एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए 24,35,586/– रुपए की राशि बुक की है। चूंकि बीईई भारतीय जीवन बीमा निगम (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण का रखरखाव करता है, इसलिए एलआईसी बीईई के कर्मचारियों के लिए बीमांकक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार 31/3/2018 को ग्रेच्युटी निधि और सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना का बीमांकक मूल्य निम्नानुसार है:

i. ग्रेच्युटी निधि – 71,57,070/– रुपए (पिछले वर्ष – 76,48,392/– रुपए)

ii. सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना – 70,22,033/– रुपए (पिछले वर्ष – 46,94,802/– रुपए)

6) ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंकों में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतएव, प्राप्त ब्याज आय में से अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत बकाया के आधार पर परिकलित ब्याज आय को संबंधित परियोजनाओं में क्रेडिट कर दिया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय को वापस किया जा रहा है।

7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत 1,05,65,32,747/– (गत वर्ष 1,00,49,69,872/–) रूपए तथा वीसीएफईई के अंतर्गत (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) 44,23,99,937/– (गत वर्ष 42,08,65,581/–) को चिह्नित निधि (अनुसूची–1) के अंतर्गत दर्शाया है। इसे विजया बैंक में अलग–अलग खातों में जमा कराया गया है और अनुसूची–9 में दर्शाया गया है।

8) वर्ष के दौरान, ब्यूरो को ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) व (घ) के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज सहित 53,78,36,007/–रूपए (अनुसूची–1) (पिछले वर्ष 46,48,36,681/– रूपए) की राशि प्राप्त हुई। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए लेबलिंग शुल्क को मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत प्राप्ति आधार पर विचार किया है।

9) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था। ईएफसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्कीम से संबंधित सभी व्यय, स्कीम

अर्थात् ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' में सृजित आय में से वहन किए जाएंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्कीम के व्ययों को पूरा करने के लिए 13.62 करोड़ रूपए की राशि (पिछले वर्ष 12.22 करोड़ रूपए) ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' (अनुसूची–1) से अनुसूची–3 में अंतरित की गई।

10) वर्ष के दौरान पैट चक्र-I के अधीन केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग के दिनांक 27/5/2016 की अधिसूचना संख्या एल–1/97/2016 के द्वारा ई–प्रमाणपत्र (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र) ट्रेडिंग योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अर्न्तगत बीईई योजना के प्रशासक के रूप में तथा पोसोको रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। पोसोको पात्र संस्थाओं से सभी शुल्कों और प्रभारों की वसूली करेगा और इसकी खाता बहियों का रखरखाव करेगा। पोसोको रजिस्ट्री और प्रशासक के बीच 50:50 के अनुपात में शुल्क और प्रभारों की हिस्सेदारी करेगा।

इस प्रयास के अन्तर्गत, बीईई को शुल्क और पंजीकरण प्रभारों के रूप में पोसोको से 94,93,460/– रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पात्र संस्थाओं ने इस पर 4,25,715/– रुपए स्रोत पर कर की कटौती के रूप में काटे गए हैं।

11) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत 52,26,251/– रूपए (पिछले वर्ष 52,26,251/– रूपए) की राशि के परीक्षण जांच उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्षकारों (परीक्षण प्रयोशाला) के पास पड़ी हुई है। ये सामान–सूचियां मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं, न कि व्यापार के प्रयोजन के अन्तर्गत। 31/03/2018 को जांच परीक्षण उपकरणों का उत्पाद–वार विवरण निम्नानुसार है:

i.	रेफ्रिजरेटर्स	–	15,42,413/– रूपए
ii.	एयर कंडीशनर्स	–	18,20,895/– रूपए
iii.	वाटर हीटर्स	–	3,88,371/– रूपए
iv.	पम्प सेट	–	9,42,341/– रूपए
v.	इंडक्शन मोटर्स	–	3,58,682/– रूपए
vi.	टेलीविजन	–	1,52,912/– रूपए
vii.	ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप	–	20,637/– रूपए
	जोड़	–	**52,26,251/– रूपए**

12) अचल परिसम्पत्तियों में शामिल की गई अप्रयोज्य मदों पर किसी मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

13) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सिडबी के साथ मिलकर जीईएफ निधिकृत एक परियोजना (एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का निधीयन) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक है। यह परियोजना सितंबर 2010 में शुरू की गई थी और इसके पूरा होने की तारीख 31 दिसंबर 2014 निर्धारित की गई थी। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2014 में इस परियोजना की पुनर्संरचना की गई थी। पुनर्संरचना की स्कीम के अन्तर्गत, इस परियोजना की अवधि 2 वर्ष अर्थात् 30 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ा दी गई थी।

नवम्बर, 2016 में इस परियोजना को 5.19 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान दिया गया और इसकी अवधि को 4 मई, 2019 तक बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त निधिकरण के अधीन बीईई के लिए

1.42 मिलियन अमरीकी डॉलर का आवंटन किया गया है।

31 मार्च 2018 तक बीईई द्वारा 9.43 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान खर्च की गई 0.97 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

14) निविदा प्रोसेसिंग शुल्क और आरटीआई शुल्क 4,03,345/– (गत वर्ष–5,10,965/–) को ''अनुसूची–18–अन्य आय'' के अंतर्गत ''विविध सेवाओं हेतु शुल्क'' के रूप में दर्शाया गया है।

15) वर्ष के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित खर्चों को बुक किया है जो पिछले वर्ष (पूर्व अवधि व्यय) से संबंधित हैं:

i.	कार्यालय रखरखाव	–	58,574/– रूपए
ii.	व्यावसायिक प्रभार	–	9,000/– रूपए
iii.	छपाई और लेखन सामग्री (अंशदान व्यय)	–	1,177/– रूपए
iv.	टेलिफोन व्यय	–	45,710/– रूपए
v.	यात्रा व्यय	–	420/– रूपए
	जोड़	–	**1,14,881/– रूपए**

16) बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए खातों में मार्च, 2018 माह के वेतन और भत्तों का प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसकी अदायगी अगले वर्ष में की जानी है।

जनवरी से मार्च, 2018 माह के मंहगाई भत्ते की बकाया राशि के लिए खाता बहियों में प्रावधान किया गया है क्योंकि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 15/3/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2018–ई–।।(बी) के संदर्भ में इसकी अदायगी अगले वर्ष में की जानी है।

17) पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, आवश्यकतानुसार पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया है।

18) 1 से 25 तक की अनुसूचियां 31 मार्च 2018 तक के तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं और ये इसके साथ संलग्न हैं।

4

प्रशासन

4.1 शिकायत निवारण

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

4.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

4.6 सतर्कता

4.7 दिव्यांग जनों का कल्याण

4.8 विविध

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण कक्ष नहीं है। शिकायतें, यदि कोई होती हैं, तो उनका निवारण बीईई के प्रशाासन अनुभाग द्वारा किया जाता रहा है। शिकायतों के प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है/उनका उत्तर दिया जाता है।

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2017–18 के दौरान, बीईई में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के बारे में कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए और इन सभी का उत्तर अनुमेय समय सीमा के अंदर दे दिया गया/इन्हें अंतरित कर दिया गया।

इसी अवधि के दौरान, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 03 अपीलें भी प्राप्त हुईं, जिन्हें अनुमेय समय सीमा के अंदर निपटाया गया।

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दिया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2018 के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा	अ.जा%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा%	अन्य पिछड़ वर्ग	अन्य पिछड़ वर्ग%
क	11	01	9.09%	-	-	-	-
ख	08	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**20**	**01**	**5%**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दिया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2018 के अनुसार	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता
क	11	-	-
ख	08	-	-
ग	01	-	-
घ	-	-	-
कुल	20	-	-

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरुकता पैदा करने के प्रयोजन हेतु, प्रति वर्ष सितंबर माह में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार, अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा पुरस्कृत करने के लिए वर्ष के दौरान, विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

बीईई में, 14 से 28 सितंबर 2017 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान, सात प्रतियोगिताएं नामतः, हिंदी में निबंध प्रतियोगिता, हिंदी में टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी में श्रुतलेख, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु हिंदी श्रुतलेख तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता और ऊर्जा दक्षता पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा पांच सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में बीईई के महानिदेशक द्वारा प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

07 जून 2017, 27 सितम्बर 2017, 29 दिसम्बर, 2017 और 23 मार्च 2018 को क्रमशः 24, 20, 22 और 14 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के साथ 2 घंटे के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं का गहन ज्ञान एवं अनुभव उपयोगी रहा क्योंकि उन्होंने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया अपितु राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने में प्रतिभागियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद की। कार्यशालाओं में प्रतिभागिता से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिली। कार्यशाला मं प्रतिभागिता के बाद, कर्मचारियों ने यूनीकोड के माध्यम से फाइलों में हिंदी में टिप्पणी टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' व 'ख' क्षेत्रां को हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, बीईई की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

4.6 सतर्कता

वर्ष 2017–18 के दौरान, कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुईं और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई। सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की प्रणाली की मासिक समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से विद्युत मंत्रालय को भेजी जाती है।

4.7 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिए गए प्रपत्र में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मवारी 31.03.2018 के अनुसार	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	11	-	-	-	-	-
ख	08	-	-	01	-	12.5%
ग	01	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-
कुल	20	-	-	01		5%

4.8 विविध

भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 10(2) के अधीन कर्मचारियों की सेवा और भर्ती शर्तों को नियंत्रित करने के लिए ब्यूरो की सेवा नियमों को अधिसूचित किया गया था। निम्नलिखित दो अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गईं थीं:

i) सा.का.नि. 1041 (अ) दिनांक 21 अगस्त, 2017 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें) नियम, 2017

ii) सा.का.नि. 1125 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2017 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें) नियम, 2017

सरकार द्वारा इन नियमों की अधिसूचना ने ब्यूरो के कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों का मार्ग प्रशस्त किया है। इन नियमों के जारी होने से संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करने वाले इसके दो अधिकारियों को निदेशक के ग्रेड में पदोन्नत किया गया और संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त निदेशक के खाली पदों के लिए विज्ञापन भी दिया गया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली - 110066
फोनः +91-11-26179699 (5 लाइन), फैक्सः 011-26178352
वेबसाइटः **www.beeindia.gov.in**

Designed by Nirman Advertising Pvt. Ltd.; Ph.: 011-24328510-11